उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की धारा–21(1) के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में निम्नांकित सदस्य हैं:–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा	1.	**पदेन**– कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ख) प्रति–कुलपति, यदि कोई हो	2.	**पदेन**– प्रति–कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ग) संकायों के अध्यक्ष	3.	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	4.	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	5.	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	6.	**पदेन**– संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न)	7.	डा0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	8.	डा0 नित्यानन्द श्रीवास्तव, , प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटमी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ङ) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विख्यात तीन व्यक्ति	9.	डा0 जी0 के0 सिंह, सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ
	10.	डा0 राजेश कश्यप, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिमेटोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ
	11.	डा0 एस0 एन0 शंखवार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ
(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0	12.	पदेन
(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य	13.	डा0 एन0सी0 प्रजापति, प्रधानाचार्य, सम्बद्ध कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश
(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	14.	पदेन
(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य	15.	पदेन
(ञ) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा नामित व्यक्ति	16.	पदेन
धारा 22–(9) सचिव–कार्य परिषद कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	17.	**पदेन**– कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 पूर्वान्ह 11.00 बजे से कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष कार्य परिषद की अध्यक्षता में आयोजित करने के संबंध में कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को पत्र प्रेषित किया गया।

दिनांक 29.07.2022 को कार्य परिषद की बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहेः—

1. डा0 प्रभात कुमार सिंह, कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – अध्यक्ष
2. डा0 रमाकान्त यादव, प्रति–कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
3. डा0 पी0के0 जैन, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
4. डा0 कमला पाठक, संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
5. डा0 ज्योति बाला, संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
6. डा0 सूरज कुमार, संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
7. डा0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
8. डा0 नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटमी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य
9. डा0 जी0 के0 सिंह, सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ – सदस्य
10. डा0 एन0सी0 प्रजापति, प्रधानाचार्य, सम्बद्ध कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश – सदस्य
11. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा – सदस्य सचिव

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–14(4) में यह व्यवस्था है कि "वित्त अधिकारी को कार्य परिषद में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।" इस व्यवस्था के अन्तर्गत श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

इस प्रकार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 में कुल 17 में से 11 सदस्य उपस्थित रहे एवं 6 सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न कर सकने का संज्ञान लेते हुए गणपूर्ति होने पर सर्वप्रथम कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त सदस्य सचिव–कार्य परिषद/कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अध्यक्ष, कार्य परिषद की अनुमति से कार्य परिषद के समक्ष बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

बैठक में एजेन्डावार प्रस्तावों पर विचार–विमर्श उपरान्त कार्य परिषद की कार्यवाही और लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं:—

एजेन्डा बिन्दु/विषय	एजेण्डा टिप्पणी
(10–1) कार्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 12.09.2019 एवं नौवीं बैठक दिनांक 16.02.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 12.09.2019 एवं नौवीं बैठक दिनांक 16.02.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जानी अपेक्षित है। **प्रस्ताव–** उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 12.09.2019 एवं नौवीं बैठक दिनांक 16.02.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि मा0 कार्य परिषद करने की कृपा करें।
कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 12.09.2019 एवं नौवीं बैठक दिनांक 16.02.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।	

(10–2) कार्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 12.09.2019 एवं नौवीं बैठक दिनांक 16.02.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 12.09.2019 एवं नौवीं बैठक दिनांक 16.02. 2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत कराया जाना। **प्रस्ताव–** मा0 कार्य परिषद उपरोक्त अनुपालन आख्या से अवगत होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – कार्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 12.09.2019 एवं नौवीं बैठक दिनांक 16.02.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	
(10–3) विश्वविद्यालय के नौ मृतक कार्मिकों के आश्रितों को प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में	**प्रस्तावना:** विगत वर्षों में विश्वविद्यालय के 09 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी है। विश्वविद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद में निहित है, अतः प्रकरण कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमि:** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–22(1) (कार्य परिषद की शक्तियों और कर्तव्य) की उपधारा–5 में यह व्यवस्था है कि ''विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना तथा उनकी अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना'' का उल्लेख है। कार्य परिषद की छठी बैठक दिनांक 26.09.2018 के एजेण्डा बिन्दु 10 के अन्तर्गत निर्णय गया था कि मृतक आश्रित प्रकरण में ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विगत वर्षों में विश्वविद्यालय के नौ कार्मिकों की अकस्मात मृत्यु हो गयी थी। मृतक कार्मिकों के आश्रितों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके क्रम में ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रक्रियारत थी एवं कार्यवाही उपरान्त मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन से मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जानी थी। **निर्णय:** चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 823/71–1–2021 दिनांक 06.07.2021 के क्रम में दिनांक 07.07. 2021 को पूर्वान्ह 11.30 बजे कोविड–19 महामारी के संबंध में लम्बित महत्वपूर्ण प्रकरणों की जूम के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा की गयी। बैठक के दौरान चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 03.07.2021 के क्रम में लंबित देयकों के भुगतान एवं लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में इस विश्वविद्यालय द्वारा शासन को भेजी गयी सूचना एवं मृतक आश्रितों की नियुक्ति के संबंध में विस्तृत आख्या ली गयी। विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा विश्वविद्यालय को निर्देश दिये गये कि मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 के निर्देशानुसार मृतकों के आश्रितों को

देय समस्त देयकों एवं उनके आश्रितों की नियुक्ति/देयकों के भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाये। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिये गये कि रविवार दिनांक 11.07.2021 से पूर्व समस्त प्रकरणों को निस्तारित कर शासन को सूचित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि मृतक आश्रितों के प्रकरण उक्त दिनांक तक निस्तारित न किये जाने पर संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

कृत कार्यवाही एवं प्रस्ताव का आधारः शासन के उक्त निर्देशों के क्रम में "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" में निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के 09 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मृतक कार्मिक का नाम, पदनाम, वेतनमान एवं योगदान तिथि	देहान्त की तिथि	मृतक कार्मिकों के आश्रित का विवरण जिन्हें अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी	
			नाम एवं मृतक कार्मिक से संबंध	पदनाम एवं वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	स्व0 श्री बहादुर सिंह, सहा0 नर्सिंग अधीक्षक (लेवल–10) पै मैट्रिक्स रू0 56100–177500 04.06.2005	15.02.2021	श्रीमती सरिता, पत्नी	रिकॉर्ड क्लर्क, (लेवल–2) पै मैट्रिक्स रू0 19900–63200
2.	स्व0 श्री विशाल यादव, स्टेनोग्राफर (लेवल–4) पै मैट्रिक्स रू0 25500–81100 11.09.2013	05.02.2020	श्रीमती अन्जू यादव, पत्नी	रिकॉर्ड क्लर्क, (लेवल–2) पै मैट्रिक्स रू0 19900–63200
3.	स्व0 श्री राजेश कुमार यादव, वाहन चालक (लेवल–3) पै मैट्रिक्स रू0 21700–69100 25.03.2008	29.06.2021	श्रीमती कंचन, पत्नी	प्यून कम पैकर, (लेवल–1) पै मैट्रिक्स रू0 18000–56900
4.	स्व0 श्री पवन कुमार, वाहन चालक (लेवल–3) पै मैट्रिक्स रू0 21700–69100 25.03.2008	14.02.2020	श्रीमती अनीता मिश्रा, पत्नी	कोडिंग क्लर्क, (लेवल–2) पै मैट्रिक्स रू0 19900–63200
5.	स्व0 श्री सुरेश चन्द्र, रिकॉर्ड क्लर्क (लेवल–2) पै मैट्रिक्स रू0 19900–63200 29.07.2009	16.04.2021	श्री आशुतोष, पुत्र	क्लर्क कम टाईपिस्ट, (लेवल–2) पै मैट्रिक्स रू0 19900–63200
6.	स्व0 श्री अरन सिंह, वार्ड ब्वाय (लेवल–1) पै मैट्रिक्स रू0 18000–56900 01.12.2008	17.02.2016	श्रीमती मुनीषा देवी, पत्नी	वार्ड आया, (लेवल–1) पै मैट्रिक्स रू0 18000–56900
7.	स्व0 श्री सुखबीर सिंह, वार्ड ब्वाय (लेवल–2) पै मैट्रिक्स रू0 19900–63200 02.03.2009	07.02.2020	श्री सीतेश कुमार, पुत्र	वार्ड ब्वाय, (लेवल–1) पै मैट्रिक्स रू0 18000–56900
8.	स्व0 श्री उपरेन्द्र सिंह, वार्ड ब्वाय (लेवल–2) पै मैट्रिक्स रू0 19900–63200 01.12.2008	10.07.2020	श्री अजय कुमार, पुत्र	वार्ड ब्वाय, (लेवल–1) पै मैट्रिक्स रू0 18000–56900
9.	स्व0 श्री राम नरेश, वार्ड ब्वाय (लेवल–2) पै मैट्रिक्स रू0 19900–63200 01.12.2008	22.12.2021	श्रीमती सीता, पत्नी	वार्ड सहायिका, (लेवल–1) पै मैट्रिक्स रू0 18000–56900

प्रस्तावः विश्वविद्यालय के 09 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उक्तवत् की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्योत्तर अनुमोदनः विश्वविद्यालय के 09 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उक्तवत् की गयी कार्यवाही से मा0

	कार्य परिषद अवगत होते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के 09 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई एवं कृत कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(10–4) विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारियों को DACP Scheme के अन्तर्गत प्रदान की गयी वैयक्तिक प्रोन्नति पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में

प्रस्तावनाः अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में चिकित्साधिकारी संवर्ग के कार्यरत 07 चिकित्सकों को सी0एच0एस0/सी0जी0एच0एस0 में विद्यमान पैटर्न के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नति प्रदान की गयी है। विश्वविद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद में निहित है, अतः प्रकरण कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि/नियमः अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–22(1) (कार्य परिषद की शक्तियों और कर्तव्य) की उपधारा–5 में यह व्यवस्था है कि "विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना तथा उनकी अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना" का उल्लेख है। चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 2720/71–3–10–एस–26/2010 दिनांक 08 नवम्बर, 2010 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति सी0एच0एस0/सी0जी0एच0एस0 में विद्यमान पैटर्न के आधार पर प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

कृत कार्यवाहीः विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारियों को वैयक्तिक प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 05.03.2021 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गयी। विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अर्ह चिकित्साधिकारियों को वैयक्तिक पदोन्नति प्रदान करने की संस्तुति की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वेतन बैंड–3 रू0 15,600–39,100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7,600) से मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन0एफ0एस0जी0) (वेतन बैंड–4 रू0 37,400–67,000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8,700)

क्र0	कार्मिक का नाम	विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.03.2021 का कार्यवृत्त पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
1	डा0 श्वेता चौधरी	
2	डा0 हीराकान्त सिंह	
3	डा0 विश्व दीपक	
4	डा0 विवेक कुमार	

चिकित्साधिकारी (वेतन बैंड–3 रू0 15,600–39,100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5,400) से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतन बैंड–3 रू0 15,600–39,100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6,600)

क्र0	कार्मिक का नाम	विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.03.2021 का कार्यवृत्त पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
1	डा0 निशु बाला	
2	डा0 राजकुमार यादव	

दन्त चिकित्साधिकारी (वेतन बैंड–3 रू0 15,600–39,100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5,400) से जूनियर स्टाफ सर्जन (वेतन बैंड–3 रू0 15,600–39,100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6,600)

क्र0	कार्मिक का नाम	विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.03.2021 का कार्यवृत्त पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
1	डा0 अनुज कुमार सविता	

अवगत कराना है कि विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए उपरोक्त

चिकित्साधिकारियों को विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति दिनांक 05.03.2021 से प्रोन्नति आदेश निर्गत करने के निर्देश दिये गये एवं विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति को मा0 कार्य परिषद की आगामी बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में उक्त चिकित्साधिकारियों को प्रोन्नति आदेश निर्गत किया जा चुका है।

प्रस्तावः विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारियों को मा0 कार्य परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रोन्नति आदेश निर्गत किया जा चुका है। अतः चिकित्साधिकारियों को DACP Scheme के अन्तर्गत प्रदान की गयी प्रोन्नति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी उक्तवत् कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्योत्तर अनुमोदनः विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारियों को मा0 कार्य परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रोन्नति आदेश निर्गत किया जा चुका है। अतः चिकित्साधिकारियों को DACP Scheme के अन्तर्गत प्रदान की गयी प्रोन्नति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी उक्तवत् कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारियों को DACP Scheme के अन्तर्गत प्रदान की गयी प्रोन्नति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(10–5) विज्ञापन सं0 UPUMS/ACAD/18/2021-22 दिनांक 03.01.2022 द्वारा विज्ञापित विभिन्न विभागों के रिक्त संकाय पदों के सापेक्ष माह मई–2022 में आयोजित साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के चयन के सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति से संबंधित सीलबंद लिफाफा खोले जाने एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावनाः अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0 UPUMS/ACAD/18/2021-22 दिनांक 03.01.2022 द्वारा विज्ञापित विभिन्न विभागों के रिक्त संकाय पदों के सापेक्ष दिनांक 06.05.2022 से 14.05.2022 तक साक्षात्कार आयोजित किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

S. No	Date of interview	Departments	Name of the Posts	No. of Vacant Posts	
1	09.05.2022	Orthopaedics	Professor	1	01 SC
			Associate Professor	3	01 UR, 01 OBC, 01 SC
			Assistant Professor	2	01 UR, 01 SC
2	10.05.2022	Ophthalmology	Professor	1	01 UR
3	09.05.2022	Obs. & Gynae	Associate Professor	2	01 UR, 01 OBC
			Assistant Professor	9	03 UR, 03 OBC, 02 SC, 01 EWS
4	08.05.2022	Anaesthesia	Associate Professor	1	01 UR
			Assistant Professor	6	03 UR, 02 OBC, 01 SC
		Trauma Anaesthesiology	Professor	1	01 UR
			Assistant Professor	2	01 UR, 01 OBC
5	11.05.2022	Oto Rhino Laryngology (ENT)	Assistant Professor	1	01 EWS
6	10.05.2022	General Medicine	Professor	1	01 UR
			Assistant Professor	6	02 UR, 02 OBC, 01 SC, 01 EWS
7	10.05.2022	Community Medicine	Associate Professor	2	01 UR, 01 SC
			Assistant Professor-Epidemiologist	1	01 SC
8	10.05.2022	General Surgery	Assistant Professor	8	03 UR, 03 OBC, 01 SC, 01 EWS
9	12.05.2022	Paediatrics	Professor	1	01 UR
			Associate Professor	2	01 UR, 01 OBC
			Assistant Professor	3	02 UR, 01 OBC
10	11.05.2022	Blood Bank	Assistant Professor	2	01 UR, 01 SC
11	07.05.2022	Pharmacology	Associate Professor	2	01 UR, 01 OBC
12	14.05.2022	Microbiology	Assistant Professor	1	01 OBC
13	13.05.2022	Radio diagnosis	Assistant Professor	9	03 UR, 03 OBC, 02 SC, 01 EWS
14	13.05.2022	Psychiatry	Assistant Professor	2	01 UR, 01 SC
15	13.05.2022	Cardiology	Assistant Professor	4	02 UR, 01 OBC, 01 SC
16	12.05.2022	Neuro Surgery	Professor	2	01 UR, 01 OBC
			Assistant Professor	3	02 UR, 01 ST
17	13.05.2022	Plastic Surgery	Assistant Professor	1	01 UR
18	13.05.2022	Paediatrics Surgery	Associate Professor	1	01 OBC
			Assistant Professor	1	01 OBC
19	13.05.2022	Gastro-Surgery	Assistant Professor	3	01 UR, 02 OBC

* Permission to appear in the inverview on 12-05-2022 in view of writ-A 7056/2022, A 7058/2022.

पृष्ठभूमि: विश्वविद्यालय द्वारा फैकल्टी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन सं0 UPUMS/ACAD/18/2021-22 दिनांक 03.01.2022 विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग समिति के द्वारा आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग की गयी। अर्ह अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया। चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त चयन के कार्यवृत्त को कार्य परिषद के अनुमोदन हेतु लिफाफे में सील किया गया है।

नियम: विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–27 में विहित व्यवस्था "इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यापक कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतद्पश्चात उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे" के अन्तर्गत चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियां से संबंधित कार्यवृत्त जो कि सीलबंद लिफाफों में रखी गयी हैं, पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–22(1) (कार्य परिषद की शक्तियों और कर्तव्य) की उपधारा–5 में यह व्यवस्था है कि "विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना तथा उनकी अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना" का उल्लेख है।

प्रस्ताव: चयन समिति की संस्तुतियों से संबंधित कार्यवृत्त जो कि सीलबंद लिफाफे में रखी गयी है, को कार्य परिषद के सदस्यों के समक्ष खोलकर परिणाम घोषित करने एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन: विश्वविद्यालय द्वारा संकाय सदस्यों के चयन के सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या UPUMS/ACAD/18/2021-22 दिनांक 03.01.2022 के अन्तर्गत रिक्त पदों पर चयन समिति की संस्तुतियों से संबंधित कार्यवृत्त जो कि सीलबंद लिफाफे में रखी गयी है, को कार्य परिषद के सदस्यों के समक्ष खोलकर परिणाम घोषित करने एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद के समक्ष विज्ञापन संख्या UPUMS/ACAD/18/2021-22 दिनांक 03.01.2022 के सापेक्ष आवेदकों के साक्षात्कार के संबंध में चयन समिति की संस्तुतियों से संबंधित कार्यवृत्त के सील्ड लिफाफे खोले गये एवं चयन समिति की संस्तुतियों की घोषणा निम्नवत् की गयीः–

S. No.	Date of interview	Departments	Name of the Posts	No. of Vacant Posts		Name of candiates	Remarks
1	09-05-2022	Orthopaedics	Professor	1	01 SC	**Dr. Sunil Kumar Sheopaltan**	**Selected (SC)**
			Associate Professor	3	01 UR, 01 OBC, 01 SC	**Dr. Ankit Mittal**	**Selected (UR)**
						None appeared in OBC, SC category	
			Assistant Professor	2	01 UR, 01 SC	**None appeared**	
2	10-05-2022	Ophthalmology	Professor	1	01 UR	**Dr. Ravi Ranjan**	**Selected (UR)**
3	09-05-2022	Obs. & Gynae	Associate Professor	2	01 UR, 01 OBC	**Dr. Nupur Mittal**	**Selected (UR)**
						None appeared in OBC	
			Assistant Professor	9	03 UR, 03 OBC, 02 SC, 01 EWS	**Dr. Sarika Pandey** **Dr. Chetna Yadav**	**Selected (UR)** **Selected (OBC)**
						None appeared in SC & EWS	

4	08-05-2022	Anaesthesia	Associate Professor	1	01 UR	**Dr. Jay Brijesh Singh Yadav**	**Selected (UR)**
			Assistant Professor	6	03 UR, 02 OBC, 01 SC	**Dr. Sapna Yadav** **Dr. Shuchi Nigam** **Dr. Deepika Doneria** **Dr. Shipra Verma**	**Selected (UR)** **Selected (UR)** **Selected (UR)** **Selected (OBC)**
						None appeared in SC	
		Trauma Anaesthesiology	Professor	1	01 UR	**None found suitable**	
			Assistant Professor	2	01 UR, 01 OBC	**Dr. Vinay Pathak**	**Selected (UR)**
						None appeared OBC	
5	11-05-2022	Oto Rhino Laryngology (ENT)	Assistant Professor	1	01 EWS	**None appeared in EWS**	
6	10-05-2022	General Medicine	Professor	1	01 UR	**Dr. Manoj Kumar**	**Selected (UR)**
			Assistant Professor	6	02 UR, 02 OBC, 01 SC, 01 EWS	**None found suitable**	
7	10-05-2022	Community Medicine	Associate Professor	2	01 UR, 01 SC	**Dr. Avinash Kumar** **Dr. Rashmi Bhujade**	**Selected (UR)** **Wait listed (UR)**
						None appeared in SC	
			Assistant Professor-Epidemiologist	1	01 SC	**Dr. Anamika Chandra**	**Selected (SC)**
8	10-05-2022	General Surgery	Assistant Professor	8	03 UR, 03 OBC, 01 SC, 01 EWS	**None found suitable**	
9	12-05-2022	Paediatrics	Professor	1	01 UR	**Dr. I.K. Sharma**	**Selected (UR)**
			Associate Professor	2	01 UR, 01 OBC	**Result will be declared after court decision**	
			Assistant Professor	3	02 UR, 01 OBC	**Dr. Muniba Alim** **Dr. Shambhavi Mishra** **Dr. Nishant Sharma**	**Selected (UR)** **Selected (UR)** **Wait list (UR)**
						None appeared in OBC	
10	11-05-2022	Blood Bank	Assistant Professor	2	01 UR, 01 SC	**none appeared**	
11	07-05-2022	Pharmacology	Associate Professor	2	01 UR, 01 OBC	**none found suitable**	
12	14-05-2022	Microbiology	Assistant Professor	1	01 OBC	**Dr. Sweta Singh**	**Selected (OBC)**
13	13-05-2022	Radio diagnosis	Assistant Professor	9	03 UR, 03 OBC, 02 SC, 01 EWS	**none appeared**	
14	13-05-2022	Psychiatry	Assistant Professor	2	01 UR, 01 SC	**Dr. Abhinav Pandey**	**Selected (UR)**
						none appeared in SC	
15	13-05-2022	Cardiology	Assistant Professor	4	02 UR, 01 OBC, 01 SC	**Dr. Subhash Chandra**	**Selected (SC)**
						None appeared in UR & OBC	
16	12-05-2022	Neuro Surgery	Professor	2	01 UR, 01 OBC	**None appeared**	
			Assistant Professor	3	02 UR, 01 ST	**Dr. Anshul Galav** **Dr. Sajag Kumar Gupta**	**Selected (UR)** **Selected (UR)**
						None appeared in ST	
17	13-05-2022	Plastic Surgery	Assistant Professor	1	01 UR	**Dr. Pankaj Singh**	**Selected (UR)**
18	13-05-2022	Paediatrics Surgery	Associate Professor	1	01 OBC	**None appeared**	
			Assistant Professor	1	01 OBC	**Dr. Anju Verma**	**Seleced (OBC)**
19	13-05-2022	Gastro-Surgery	Assistant Professor	3	01 UR, 02 OBC	**none appeared**	

मा0 कार्य परिषद द्वारा चयन समिति द्वारा तैयार किये गये कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये। दो अभ्यर्थियों द्वारा पीडियाट्रिक्स विभाग में नियुक्ति हेतु मा0 उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है, कार्य परिषद द्वारा इन अभ्यर्थियों के सील बंद लिफाफे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त खोले जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(10–6) विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को Assessment Promotion Scheme के अन्तर्गत वैयक्तिक पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में

प्रस्तावनाः अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को Assessment Promotion Scheme के अन्तर्गत वैयक्तिक पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु चिकित्सा शिक्षकों से प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु गठित समिति की आख्या के क्रम में दिनांक 06.05.2022 से 14.05.2022 तक Assessment Promotion हेतु गठित समिति की बैठक निम्नलिखित विवरणानुसार सम्पन्न हुईः–

S. No.	Date of Assesment Promotion	Departments
1	06.05.2022	Pathology
2	07.05.2022	Anatomy
3	07.05.2022	Physiology
4	09.05.2022	Radiotherapy
5	11.05.2022	Biochemistry
6	11.05.2022	Respiratory Medicine (TB & Chest)
7	11.05.2022	C.V.T.S.
8	13.05.2022	Dermatology (Skin & VD)
9	11.05.2022	Dentistry
10	13.05.2022	Urology
11	07.05.2022	Pharmacology
12	08.05.2022	Anaesthesia, Trauma Anaesthesiology
13	09.05.2022	Obs. & Gynae.
14	09.05.2022	Orthopaedics
15	10.05.2022	General Surgery
16	10.05.2022	Community Medicine
17	10.05.2022	General Medicine
18	10.05.2022	Ophthalmology
19	13.05.2022	Paediatrics Surgery
20	11.05.2022	E.N.T.
21	12.05.2022	Paediatrics
22	13.05.2022	Plastic Surgery
23	14.05.2022	Microbiology

पृष्ठभूमिः विश्वविद्यालय के अर्ह चिकित्सा शिक्षकों को प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग समिति के द्वारा स्क्रीनिंग की गयी। अर्ह अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया। प्रोन्नति समिति की संस्तुति के उपरान्त संबंधित कार्यवृत्त को कार्य परिषद के अनुमोदन हेतु लिफाफे में सील किया गया है।

नियमः विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–27 में विहित व्यवस्था "इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यापक कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतद्पश्चात उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे" के अन्तर्गत प्रोन्निति समिति द्वारा की गयी संस्तुतियां से संबंधित कार्यवृत्त जो कि सीलबंद लिफाफों में रखी गयी हैं, पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–22(1) (कार्य परिषद की शक्तियों और कर्तव्य) की उपधारा–5 में यह व्यवस्था है कि "विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना तथा उनकी अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना" का उल्लेख है।

प्रस्तावः अतः चिकित्सा शिक्षकों को वैयक्तिक पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रोन्नति समिति का कार्यवृत्त जो कि सीलबंद लिफाफे में रखा गया है, को कार्य परिषद के सदस्यों के समक्ष

	खोलकर प्रोन्नति समिति की संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** चिकित्सा शिक्षकों को वैयक्तिक पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रोन्नति समिति का कार्यवृत्त जो कि सीलबंद लिफाफे में रखा गया है, को कार्य परिषद के सदस्यों के समक्ष खोलकर प्रोन्नति समिति की संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें, जिससे कि चिकित्सा शिक्षकों को प्रोन्नति आदेश निर्गत किया जा सके।

कार्य परिषद का निर्णय – चिकित्सा शिक्षकों को वैयक्तिक पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रोन्नति समिति के कार्यवृत्त से संबंधित सीलबंद लिफाफों को कार्य परिषद के सदस्यों के समक्ष खोलकर प्रोन्नति समिति की संस्तुतियों की घोषणा निम्नवत की गयीः–

S. No.	Departments	Name	Posts	Next Promotional post	Date of eligibility	Promotion can be given from
1	Orthopadics	Dr. Simrat Pal Singh	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
2	Orthopadics	Dr. Sunil Kumar Sheopaltan	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
3	Orthopadics	Dr. Dinesh Kumar	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2019	01/07/2019
4	Orthopaedics	Dr. Ankit Mittal	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2019	01/07/2019
5	Orthopaedics	Dr. Harish Kumar	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2019	01/07/2019
6	Ophthalmology	Dr. Ravi Ranjan	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
7	Ophthalmology	Dr. Reena Sharma	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2018	01/07/2018
8	Ophthalmology	Dr. Brijesh Singh	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2019	01/07/2019
9	Obs & Gynae	Dr. Kalpana Kumari	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
10	Obs & Gynae	Dr. Vaibhav Kanti	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
11	Obs & Gynae	Dr. Soniya Vishwakarma	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2019	01/07/2019
12	Obs. & Gynae	Dr. Nupur Mittal	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2020	01/07/2020
13	Anatomy	Dr. Anuj Jain	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
14	Anatomy	Dr. Jayant Verma	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2018	01/07/2018
15	Anatomy	Dr. Monika Srivastava	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2021	01/07/2021
16	Anaesthesia	Dr. Urvashi Yadav	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
17	Anaesthesia	Dr. Rakesh Bahadur Singh	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2019	01/07/2019
18	Anaesthesia	Dr. Atit Kumar	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2019	01/07/2019
19	E.N.T	Dr. Hemant Ahluwalia	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2019	**Not Done**
20	E.N.T	Dr. Jitendra Pratap Singh	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2019	01/07/2019
21	E.N.T	Dr. Ritu Gupta	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2020	01/07/2020
22	Comm. Medicine	Dr. Sandeep Kumar	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
23	Comm. Medicine	Dr. Sushil Kumar Shukla	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
24	Comm. Medicine	Dr. Dhiraj Kumar Srivastava	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2019	01/07/2019
25	C.V.T.S	Dr. Amit Singh	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
26	Gen. Medicine	Dr. Manoj Kumar	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
27	Gen. Medicine	Dr. Ramakant Rawat	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
28	Gen. Medicine	Dr. Granth Kumar	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
29	Gen. Medicine	Dr. Vidya Sagar Ram	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
30	Gen. Medicine	Dr. Pankaj Kumar	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2021	01/07/2021
31	Gen. Surgery	Dr. Anil Kumar Erry	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
32	Gen. Surgery	Dr. Vipin Kumar Gupta	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
33	Gen. Surgery	Dr. Somendra Pal Singh	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
34	Gen. Surgery	Dr. Poonam Gupta	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
35	Gen. Surgery	Dr. Shesh Kumar	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2020	01/07/2020
36	Gen. Surgery	Dr. Anil Kumar	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2020	01/07/2020
37	T.B & Chest	Dr. Ashish Kumar Gupta	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
38	T.B & Chest	Dr. Aditya Kumar Gautam	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2019	01/07/2019
39	Dermatology	Dr. Sweta S. Kumar	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2021	01/07/2021

40	Dentistry	Dr. Rajesh Kumar Thakur	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
41	Dentistry	Dr. Bipin Kumar Yadav	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
42	Dentistry	Dr. Rahul Mishra	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
43	Dentistry	Dr. Vijay Mishra	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2020	01/07/2020
44	Plastic Surgery	Dr. Shammi Purwar	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2020	01/07/2020
45	Pediatrics	Dr. I.K. Sharma	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
46	Paediatrics	Dr. Rajesh Yadav	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
47	Paediatrics	Dr. Dinesh Kumar	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
48	Paediatrics	Dr. Ganesh Kumar Verma	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2019	01/07/2019
49	Paediatrics Surgery	Dr. Umesh Kumar Gupta	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2019	01/07/2019
50	Pathology	Dr. Pinki Pandey	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
51	Pathology	Dr. Vineet Chaturvedi	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2019	01/07/2019
52	Pathology	Dr. Roopak Aggarwal	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
53	Pathology	Dr. Savita Agarwal	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
54	Pathology	Dr. Sanjeev Kumar Singh	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
55	Pathology	Dr. Geeta Maurya	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2021	01/07/2021
56	Pharmacology	Dr. Alok Dixit	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
57	Pharmacology	Dr. Chandraveer Singh	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
58	Pharmacology	Dr. Asha Pathak	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
59	Physiology	Dr. Snehasis Bhunia	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2017	**Not Done**
60	Physiology	Dr. Santosh Kumar Sant	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2019	01/07/2019
61	Physiology	Dr. Raveendra Singh Rajpoot	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
62	Physiology	Dr. Amit Kant Singh	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
63	Physiology	Dr. Kirti Jaiswal	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
64	Physiology	Dr. Anamika Singh	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
65	Biochemistry	Dr. Pradeep Sharma	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2020	01/07/2020
66	Microbiology	Dr. Amit Singh	Professor Jr. Grade	Professor Sr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
67	Microbiology	Dr. Dharmendra Prasad Singh	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021
68	Urology	Dr. Mohd. Mubashir Ali Khan	Asstt. Professor	Assoc. Professor	30/06/2019	01/07/2019
69	Radiotherapy	Dr. Kailash Kumar Mittal	Assoc. Professor	Professor Jr. Grade	30/06/2021	01/07/2021

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रोन्नति समिति की उपरोक्त संस्तुतियों के अनुसार डा0 हेमन्त अहलूवालिया, एसो0 प्रोफेसर, ई0एन0टी0 विभाग एवं डा0 स्नेहाशीष भुनिया, प्रोफेसर (जू0ग्रेड), फिजियोलॉजी विभाग को छोड़कर शेष चिकित्सा शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित अर्हता की तिथि से वैयक्तिक पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(10–7) कैथ लैब में कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा प्रयुक्त कन्ज्यूमेबिल के ऑडिट हेतु गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग (निलम्बित) के प्रकरण पर अंतिम आदेश पारित किये जाने के संबंध में।	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के कार्डियोलॉजी विभाग में प्रयुक्त कन्ज्यूमेबिल्स का एक वर्ष का ऑडिट कराये जाने हेतु पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी को (1) नियमों का उल्लंघन करना (2) वित्तीय अनियमितता करना (3) सत्यनिष्ठा से कर्तव्यों का पालन न करना आदि प्रारम्भिक आरोपों के आधार पर प्रकरण की जाँच हेतु उन्हें दिनांक 23.03.2021 को निलम्बित किया गया। **पृष्ठभूमिः** विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 917 दिनांक 09.07.2020 के द्वारा कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा प्रयुक्त कन्ज्यूमेबिल्स को विगत एक वर्ष का ऑडिट कराये जाने हेतु समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष–समिति द्वारा अपने पत्र सं0 868 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा समिति की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराई गयी, जिसमें डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग की त्रुटियों को इंगित किया गया। समिति की उक्त रिपोर्ट के क्रम में

	डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी के विरूद्ध प्रारम्भिक आरोपों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित होने के कारण आदेश सं0 4590 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा डा0 समीर सर्राफ को निलम्बित किया गया। तदोपरान्त कार्यालय आदेश सं0 1498 दिनांक 24.06.2021 के द्वारा डा0 आई0के0 शर्मा, प्रोफेसर (जू0ग्रेड), पीडियाट्रिक्स विभाग को जाँच अधिकारी नामित किया गया। **जाँच अधिकारी का निष्कर्षः** जाँच अधिकारी द्वारा पत्र सं0 149 दिनांक 23.07.2021 के द्वारा डा0 समीर सर्राफ को तीन आरोप (1) आर्बिट्रेरी परचेज (2) पेसमेकर एवं (3) विदेश यात्रा के संबंध में आरोप पत्र निर्गत किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 235 दिनांक 24.09.2021 के द्वारा जाँच रिपोर्ट उपलब्ध कराई गयी, जिसमें जाँच अधिकारी का निष्कर्ष निम्नवत् हैः– 1. डा0 समीर सर्राफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई द्वारा असत्य कथन, तथ्यों को छुपाकर स्वेच्छाचारिता से धोखाधड़ी कर व्यक्तिगत लाभ हेतु अनावश्यक आर्बिट्रेरी परचेज किया गया है जो कि निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध है, अतः दोषी हैं। 2. डा0 समीर सर्राफ ने गिरोह बनाकर व्यक्तिगत लाभ हेतु उनके द्वारा प्रत्यारोपित पेसमेकर के मरीजों से धोखाधड़ी कर मरीजों के प्रति अपने कर्तव्यों एवं उत्तदायित्वों का निर्वहन न करके आर्थिक अपराध किया है। डा0 समीर सर्राफ ने एक चिकित्सक होने के बावजूद मेडिकल एथिक्स दरकरार कर मानव जीवन से खिलवाड़ करने का अनैतिक व अवैध कृत्य करके मरीजों की जान को खतरे में डाला है, अतः दोषी हैं। 3. डा0 समीर सर्राफ एवं उनकी पत्नी डा0 रितु गुप्ता द्वारा विश्वविद्यालय एवं उ0प्र0 शासन को सूचित न कर, भ्रमित कर एवं तथ्यों को छुपाकर नियम विरूद्ध अनाधिकृत विदेश यात्राएं की गई हैं। यह कृत्य इनके सत्यनिष्ठ न होने का द्योतक है। **नियमः** विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–22(1) (कार्य परिषद की शक्तियों और कर्तव्य) की उपधारा–5 में यह व्यवस्था है कि "विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना तथा उनकी अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना"। धारा–22(1) (कार्य परिषद की शक्तियों और कर्तव्य) की उपधारा–7 में यह व्यवस्था है कि "विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों और अन्य अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना"। **निर्णयः** उक्त व्यवस्था के आलोक में एवं मा0 कुलपति महोदय के निर्देश के क्रम में डा0 समीर सर्राफ को जाँच अधिकारी की रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने (स्वीकृति/अस्वीकृति) हेतु अवसर प्रदान करते हुए जाँच रिपोर्ट की प्रति डा0 समीर सर्राफ को उपलब्ध कराई गयी थी। डा0 समीर सर्राफ ने अपने पत्र दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया है। नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद में निहित होने के कारण प्रकरण पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु

	प्रकरण कार्य परिषद में रखे जाने का निर्णय लिया गया है। **प्रस्तावः** मा0 कार्य परिषद प्रकरण में की गयी कार्यवाही, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट एवं डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग (निलम्बित) के पक्ष से संज्ञानित होते हुए प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** मा0 कार्य परिषद प्रकरण में की गयी कार्यवाही, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट एवं डा0 समीर सर्राफ, असि0 प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग (निलम्बित) के पक्ष से संज्ञानित होते हुए प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया एवं जाँच प्रक्रिया व आरोपित कार्मिक द्वारा जाँच रिपोर्ट के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर कई सवाल उठाये गये तथा निर्देश दिये गये कि वित्त नियंत्रक को सम्मिलित करते हुए एक तीन सदस्यीय परीक्षण समिति का गठन किया जाये जो सम्पूर्ण जाँच प्रक्रिया व जाँच रिपोर्ट के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन का परीक्षण/समीक्षा कर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी। उक्त परीक्षण समिति का गठन करने के लिए कार्य परिषद द्वारा मा0 कुलपति को अधिकृत किया गया। साथ ही कार्य परिषद द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि डा0 समीर सर्राफ चूंकि विगत 2 वर्षों से निलम्बन काल में हैं, अतः रोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इनके निलम्बन को समाप्त करते हुए सेवा में बहाल किया गया तथा तीन सदस्यीय परीक्षण समिति की रिपोर्ट को अन्तिम निर्णय हेतु आगामी कार्य परिषद में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।	
(10–8) विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के संकाय सदस्यों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के संकाय सदस्यों की भांति पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने के संबंध में	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा 48 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कार्मिकों की सेवा शर्तें, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्ते आदि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों के अनुसार अनुमन्य हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–14/2020/321/71–2–20–पी–38/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2020 द्वारा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के चिकित्सा शिक्षकों हेतु पुनरीक्षित वेतनमान संबंधी शासनादेश जारी किया गया01 है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को भी पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया जाना है। **पृष्ठभूमिः** विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के चिकित्सा शिक्षकों की भांति पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा शासन को पत्र सं0 3147/ई/उ0प्र0आयु0वि0वि0/ अधि0–1(193)/ 2021–22 दिनांक 24.02.2022 प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 173029/2022 दिनांक 02 मई, 2022 के द्वारा विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के चिकित्सा शिक्षकों की भांति पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने के संबंध में प्रस्ताव विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। **कृत कार्यवाही एवं प्रस्ताव का आधारः** उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के चिकित्सा शिक्षकों हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या V-16020/28/ 2017-INI-I (Pt.) दिनांक 23 अगस्त,

2018 जोकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–14/2020/321/ 71–2–20–पी–38/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2020 द्वारा पुनरीक्षित किया गया है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अनुरोध के कम में तालिका में पदानुसार वेतन लेवल में वेतन मैट्रिक्स संशोधित किये जाने का विवरण निम्नानुसार है:–

कम सं0	पदनाम	विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों हेतु वर्तमान में लागू वेतन लेवल में पे मैट्रिक्स	एस0जी0पी0जी0आई0 में चिकित्सा शिक्षकों हेतु संशोधित वेतन लेवल में पे मैट्रिक्स	एस0जी0पी0जी0आई0 के चिकित्सा शिक्षकों की भांति इस विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को अनुमन्य कराये जाने हेतु प्रस्तावित संशोधित वेतन लेवल में पे मैट्रिक्स
01.	असि0 प्रोफेसर (03 वर्ष के पश्चात)	लेवल–12 रू0 101500	लेवल–13 रू0 123100	लेवल–13 रू0 123100
02.	एसो0 प्रोफेसर	लेवल–13ए–1 रू0 131400	लेवल 13ए–1+ रू0 138300	लेवल 13ए–1+ रू0 138300
03.	अपर प्रोफेसर (प्रोफेसर जू0ग्रे0)	लेवल 13ए–2 रू0 139600	लेवल 13ए–2+ रू0 148200	लेवल 13ए–2+ रू0 148200
04.	प्रोफेसर	लेवल 14–ए रू0 159100	लेवल 14–ए रू0 168900	लेवल 14–ए रू0 168900

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा 48 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के चिकित्सा शिक्षकों हेतु जारी शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2020 की भांति विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को भी संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने से संबंधित प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में शासन को विश्वविद्यालय के पत्र सं0 780/ई/उ0प्र0आयु0वि0वि0/ अधि0–1(193)/2022–23 दिनांक 23.06.2022 के द्वारा प्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव: विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के संकाय सदस्यों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के चिकित्सा शिक्षकों की भांति निम्नानुसार पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है:–

कम सं0	पदनाम	विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों हेतु वर्तमान में लागू वेतन लेवल में पे मैट्रिक्स	एस0जी0पी0जी0आई0 में चिकित्सा शिक्षकों हेतु संशोधित वेतन लेवल में पे मैट्रिक्स	एस0जी0पी0जी0आई0 के चिकित्सा शिक्षकों की भांति इस विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को अनुमन्य कराये जाने हेतु प्रस्तावित संशोधित वेतन लेवल में पे मैट्रिक्स
01.	असि0 प्रोफेसर (03 वर्ष के पश्चात)	लेवल–12 रू0 101500	लेवल–13 रू0 123100	लेवल–13 रू0 123100
02.	एसो0 प्रोफेसर	लेवल–13ए–1 रू0 131400	लेवल 13ए–1+ रू0 138300	लेवल 13ए–1+ रू0 138300
03.	अपर प्रोफेसर (प्रोफेसर जू0ग्रे0)	लेवल 13ए–2 रू0 139600	लेवल 13ए–2+ रू0 148200	लेवल 13ए–2+ रू0 148200
04.	प्रोफेसर	लेवल 14–ए रू0 159100	लेवल 14–ए रू0 168900	लेवल 14–ए रू0 168900

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन: विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के संकाय सदस्यों को उपरोक्त तालिका के अनुसार संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के चिकित्सा शिक्षकों की भांति पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद

	अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के संकाय सदस्यों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के चिकित्सा शिक्षकों हेतु जारी शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2020 की भांति संशोधित पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(10–9) विश्वविद्यालय की चयन समिति की संस्तुतियों से संबंधित सीलबंद लिफाफों को खोल कर परिणाम की घोषणा एवं चयनित आवेदकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत एच0आर0 कमेटी के गठन अथवा मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने के संबंध में	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु समय–समय पर विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं। विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्क्रीनिंग उपरान्त आवेदकों का साक्षात्कार सम्पन्न होता है एवं चयन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां लिफाफों में रखकर सील कर दी जाती हैं, जिन्हें मा0 कार्य परिषद के समक्ष खोल कर परिणाम की घोषणा की जाती है, तदोपरान्त चयनित आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रेषित किये जाते हैं। **पृष्ठभूमिः** उल्लेखनीय है कि विभिन्न कारणों से कार्य परिषद की बैठक समय से सम्पन्न नही हो पाती हैं, जिसके कारण चयन समिति की संस्तुतियां से संबंधित सीलबंद लिफाफों को खोल कर परिणाम घोषित करने एवं चयनित आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रेषित करने की कार्यवाही में विलम्ब होता है, जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं कि चयनित आवेदक का अन्यत्र चयन हो जाता है। **नियमः** विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–27 में विहित व्यवस्था "इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यापक कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतदपश्चात उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे"। विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–22(1) (कार्य परिषद की शक्तियों और कर्तव्य) की उपधारा–5 में यह व्यवस्था है कि "विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना तथा उनकी अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना" का उल्लेख है, जिसके अन्तर्गत नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व कार्य परिषद का अनुमोदन लिया जाता है। कार्य परिषद के अनुमोदन के उपरांत नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। **प्रस्तावः** उक्त समस्या के निवारण हेतु विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था के अर्न्तगत मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर एच0आर0 कमेटी के गठन करते हुए एच0आर0 कमेटी अथवा मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। एच0आर0 कमेटी/मा0 कुलपति महोदय, चयन समिति की संस्तुति से संबंधित सीलबंद लिफाफों को खोल कर परिणाम घोषित करने हेतु मा0 कार्य परिषद की ओर से अधिकृत रहेंगे। साथ ही चयनित आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रेषित करने की अनुशंसा भी एच0आर0 कमेटी/मा0 कुलपति महोदय द्वारा की जा सकेगी। तदोपरान्त उक्तानुसार कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद की आगामी बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। एच0आर0 कमेटी को अधिकृत किये जाने की दशा में मा0 कार्य परिषद द्वारा कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्य नामित किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः</u> चयन समिति की संस्तुति से संबंधित सीलबंद लिफाफों को खोल कर परिणाम घोषित करने हेतु मा0 कार्य परिषद की ओर से एच0आर0 कमेटी अथवा मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत करने तथा आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रेषित करने की अनुशंसा हेतु एच0आर0 कमेटी/मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें। एच0आर0 कमेटी को अधिकृत किये जाने की दशा में मा0 कार्य परिषद द्वारा कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्य नामित किया जाना अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद की बैठक कतिपय कारणों से न होने पाने के कारण विश्वविद्यालय स्तर पर चयन समिति की संस्तुति से संबंधित सीलबंद लिफाफे को खोलने व परिणाम घोषित करने हेतु विलम्ब होता है, जिसके कारण कई फैकल्टी का चयन अन्यत्र होने से पद रिक्त रह जाता है। इस हेतु कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर एक एच0आर0 समिति का गठन कर दिया जाये जिसमें विश्वविद्यालय स्तर से प्रतिकुलपति, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) तथा डा0 एन0सी0 प्रजापति व प्रो0 जी0के0 सिंह सदस्य होंगे तथा यह समिति चयन समिति की संस्तुतियों के क्रम में चयन व पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफे खोलकर परिणाम घोषित करने व नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेगी, जिस पर आगामी कार्य परिषद की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(10–10) विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद को अवलोकित कराया जाना

<u>प्रस्तावनाः</u> अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर विद्या परिषद द्वारा संस्तुति करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में प्रस्तुत किये गये बिन्दु निम्नवत हैं:–

एजेण्डा बिन्दु	चिकित्सा संकाय
3.1	विश्वविद्यालय में पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु तैयार की गयी नियमावली का अनुमोदन
3.2	विश्वविद्यालय में प्रारम्भ किए गए इन्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट्स पर कार्योत्तर अनुमोदन
3.3	नेशनल मेडिकल कमीशन के Regulations on Graduate Medical Education 1997 (Amendment), 2019 (Part II) में निहित प्राविधानों के अनुसार एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम का क्यूरीकुलम, विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाएं इत्यादि आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में
3.4	नेशनल मेडिकल कमीशन (एन0एम0सी0)–2019 के Minimum Requirements for Annual M.B.B.S. Admission Regulations, 2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में इन्फ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, इक्विपमेन्ट, विभाग एवं लैब की आवश्यकता के सम्बन्ध में
एजेण्डा बिन्दु	पैरामेडिकल विज्ञान संकाय
4.1	Examiner's Panel (Bachelor Course) for 2019-20 annual examination onwards
4.2	Starting of Post Graduate Degree Programme in various departments of Faculty of Paramedical Sciences
4.3	To start the 01 Year Advanced Diploma in Pre-Hospital Trauma Care
एजेण्डा बिन्दु	फार्मेसी संकाय
5	Approval of panel of External Examiner for B.Pharmacy Course

एजेण्डा बिन्दु	नर्सिंग संकाय
6.1	परीक्षकों के पैनल को अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में
6.2	बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रश्नपत्र के प्रारूप पर अनुमोदन के संबंध में
6.3	एम0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु भारतीय उपचर्या परिषद के दिशा–निर्देश एवं उसके क्रियान्वयन को अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में
6.4	आई0एन0सी0 द्वारा जारी वर्ष 2019 की परीक्षा योजना सम्बन्धी गाइडलाइन के क्रियान्वयन के संबंध में
6.5	नर्सिंग संकाय के सत्र 2020–21 हेतु शैक्षणिक कैलेण्डर को अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में
6.6	बी0एस0सी0 नर्सिंग छात्र–छात्राओं की एकीकृत/संकलित अंकतालिका के क्रियान्वयन के संबंध में

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 का कार्यवृत्त पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव अवलोकनार्थः विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 में लिये गये निर्णय मा0 कार्य परिषद अवलोकित करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद द्वारा विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 में लिये गये निर्णयों को अवलोकित किया गया।

(10–10)(a) नर्सिंग संकाय में पी0जी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक प्रोफेसर–01 पद, एसोसिएट प्रोफेसर–02 पद तथा वर्तमान में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक ट्यूटर–12 पदों के सृजन के संबंध में

प्रस्तावनाः अवगत कराना है कि विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के एजेण्डा बिन्दु–6.3 में नर्सिंग संकाय के अंतर्गत Child Health Nursing, Medical-Surgical Nursing एवं Obstetrics and Gynecological Nursing विशेषताओं में 5–5 सीट हेतु एम0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की गयी तथा निर्देश दिये गये कि प्रथम चरण में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 02–02 सीटों से पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाये।

पृष्ठभूमि एवं नियमः विद्या परिषद द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त तीनों विशेषताओ में एम0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में विस्तार से प्रस्ताव तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों (बी0एस0सी0 (नर्सिंग)/जी0एन0एम0/ ए0एन0एम0) एवं एम0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रारम्भ करने हेतु भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली (आई0एन0सी0) के मानकानुसार आवश्यक फैकल्टी के संबंध में निम्नवत् अवगत कराया गया है:–

क्र0	पदनाम	आई0एन0सी0 मानक	सृजित पद	वर्तमान स्थिति	सृजित किये जाने वाले पद	
					बी0एस0सी0 (नर्सिंग)/ जी0एन0एम0/ ए0एन0एम0	एम0एस0सी0 (नर्सिंग) (प्रस्तावित)
1.	प्रोफेसर	03	02	02	–	01
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	03	01	01	–	02 (1+1) 1 बाल चिकित्सा नर्सिंग हेतु एवं 1 प्रसूति एवं स्त्री रोग नर्सिंग हेतु
3.	असिस्टेंट प्रोफेसर/ लेक्चरर	06	08	02	–	–
4.	डेमोस्ट्रेटर	47	35	29	12	–

<table>
<tr>
<td></td>
<td><u>आई0एन0सी0 नियमः</u> अवगत कराना है कि आई0एन0सी0, नई दिल्ली के मानकानुसार डेमोंस्ट्रेटर के स्थान पर ट्यूटर के पदों का उल्लेख है।
<u>प्रस्तावः</u> अतः भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली (आई0एन0सी0) के मानकों की पूर्ति किये जाने और वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों (बी0एस0सी0 (नर्सिंग)/जी0एन0एम0/ए0एन0एम0) के सुचारू संचालन हेतु ट्यूटर–12 पदों एवं एम0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रारम्भ करने हेतु प्रोफेसर–01 पद तथा एसोसिएट प्रोफेसर–02 पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।
<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन</u>– भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली (आई0एन0सी0) के मानकों की पूर्ति किये जाने और वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों (बी0एस0सी0 (नर्सिंग)/जी0एन0एम0/ए0एन0एम0) के सुचारू संचालन हेतु ट्यूटर–12 पदों एवं एम0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रारम्भ करने हेतु प्रोफेसर–01 पद तथा एसोसिएट प्रोफेसर–02 पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">कार्य परिषद का निर्णय – भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली (आई0एन0सी0) के मानकों की पूर्ति किये जाने और वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों (बी0एस0सी0 (नर्सिंग)/जी0एन0एम0/ ए0एन0एम0) के सुचारू संचालन हेतु ट्यूटर–12 पदों एवं एम0एस0सी0 (नर्सिंग) प्रारम्भ करने हेतु प्रोफेसर–01 पद तथा एसोसिएट प्रोफेसर–02 पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>(10–10)(b) विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के अन्तर्गत पी0जी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में</td>
<td><u>प्रस्तावनाः</u> अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तरीय B.P.T., B.M.L.T., B.Optom., B.R.I.T. पाठ्यक्रम (सभी पाठ्यक्रम 60 सीट प्रतिवर्ष) संचालित है। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 25.09.2018 के एजेण्डा बिंदु–2 के अन्तर्गत पैरामेडिकल विज्ञान संकाय में फैकल्टी, उपकरण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि की उपलब्धता के दृष्टिगत पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था। विद्या परिषद के उक्त निर्णय पर कार्य परिषद की छठी बैठक दिनांक 26.09.2018 में एजेण्डा बिंदु–21(2) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया था।

<u>पृष्ठभूमिः</u> विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के एजेण्डा बिंदु–4.2 के अन्तर्गत पैरामेडिकल विज्ञान संकाय में परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु पुनः एजेण्डा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान करते हुए पी0जी0 पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक गुणवत्ता इत्यादि का पुनर्मूल्यांकन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। पी0जी0 पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक गुणवत्ता इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन हेतु गठित समिति/संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय) के पत्र दिनांक 16.02.2022 के द्वारा Human Resource, Lab Facilities & Infrastructure की वर्तमान उपलब्धता के दृष्टिगत निम्नलिखित पाँच विशिष्टताओं में प्रतिविशिष्टता 06 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु शासन से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने की अपेक्षा की गयीः–</td>
</tr>
</table>

क्र.	विशिष्टता	सीटों की संख्या
1.	M.Sc. Medical Lab. Technology - M.Sc.M.L.T. (Microbiology)	06
2.	Master of Physiotherapy - MPT (Neurology)	06
3.	Master of Physiotherapy - MPT (Orthopaedics)	06
4.	Master of Optometry (M.Optom.)	06
5.	Master of Medical Radiology and Imaging Technology - MMRIT	06

कृत कार्यवाही: अवगत कराना है कि कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 25.09.2018 एवं विधा परिषद के उक्त निर्णय पर कार्य परिषद की छठी बैठक दिनांक 26.09.2018 में एजेण्डा बिंदु–21(2) के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुमोदन एवं विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के एजेण्डा बिंदु–4.2 के अन्तर्गत प्रदान की सैद्धान्तिक सहमति के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र सं0 3128 दिनांक 23.02.2022 के द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार पाँच विशिष्टताओं में प्रतिविशिष्टता 06 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। शासन से अभी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

प्रस्ताव: अतः पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के अन्तर्गत पाँच विशिष्टताओं यथा (1) M.Sc. Medical Lab. Technology - M.Sc.M.L.T. (Microbiology)-06 सीट, (2) Master of Physiotherapy - MPT (Neurology) -06 सीट, (3) Master of Physiotherapy - MPT (Orthopaedics) -06 सीट, (4) Master of Optometry (M.Optom.) -06 सीट, (5) Master of Medical Radiology and Imaging Technology - MMRIT-06 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी उक्तवत् कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्योत्तर अनुमोदन: पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के अन्तर्गत पाँच विशिष्टताओं यथा (1) M.Sc. Medical Lab. Technology - M.Sc.M.L.T. (Microbiology)-06 सीट, (2) Master of Physiotherapy - MPT (Neurology) -06 सीट, (3) Master of Physiotherapy - MPT (Orthopaedics) -06 सीट, (4) Master of Optometry (M.Optom.) -06 सीट, (5) Master of Medical Radiology and Imaging Technology - MMRIT-06 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी उक्तवत् कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के अन्तर्गत पाँच विशिष्टताओं यथा (1) M.Sc. Medical Lab. Technology - M.Sc.M.L.T. (Microbiology)-06 सीट, (2) Master of Physiotherapy - MPT (Neurology) -06 सीट, (3) Master of Physiotherapy - MPT (Orthopaedics) -06 सीट, (4) Master of Optometry (M.Optom.) -06 सीट, (5) Master of Medical Radiology and Imaging Technology - MMRIT-06 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(10–10)(c) विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय के अन्तर्गत पी0जी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध म

प्रस्तावना: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तरीय B.Sc. Nursing पाठ्यक्रम (60 सीट प्रतिवर्ष) संचालित है। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 25.09.2018 के एजेण्डा बिंदु–2 के अन्तर्गत नर्सिंग संकाय में फैकल्टी, उपकरण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि की उपलब्धता के दृष्टिगत नर्सिंग संकाय के परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था। विद्या परिषद के उक्त निर्णय पर कार्य

	परिषद की छठी बैठक दिनांक 26.09.2018 में एजेण्डा बिंदु–21(2) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया था। **पृष्ठभूमिः** विद्या परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.12.2020 के एजेण्डा बिंदु–6.3 के अन्तर्गत नर्सिंग संकाय में Child Health Nursing, Medical-Surgical Nursing एवं Obstetrics and Gynecological Nursing विशेषताओं में 5–5 सीट हेतु एम0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने संबंधी एजेण्डा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान करते हुए 02–02 सीटों से पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। **कृत कार्यवाहीः** विद्या परिषद द्वारा प्रदान की गयी सैद्धान्तिक सहमति के आधार पर शासन को उक्त तीनों विशेषताओं में 5–5 सीट हेतु एम0एस0सी0 (नर्सिंग) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र सं0 3127 दिनांक 23.02.2022 के द्वारा नर्सिंग संकाय में वर्तमान उपलब्ध शिक्षकों, उपकरण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के दृष्टिगत Child Health Nursing-05 सीट, Medical-Surgical Nursing-05 सीट एवं Obstetrics and Gynecological Nursing-05 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम (M.Sc. Nursing) प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। शासन से अभी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। **प्रस्तावः** अतः नर्सिंग संकाय के अन्तर्गत तीन विशिष्टताओं यथा Child Health Nursing-05 सीट, Medical-Surgical Nursing-05 सीट एवं Obstetrics and Gynecological Nursing-05 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी उक्तवत् कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्योत्तर अनुमोदनः** नर्सिंग संकाय के अन्तर्गत तीन विशिष्टताओं यथा Child Health Nursing-05 सीट, Medical-Surgical Nursing-05 सीट एवं Obstetrics and Gynecological Nursing-05 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी उक्तवत् कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – नर्सिंग संकाय के अन्तर्गत तीन विशिष्टताओं यथा Child Health Nursing-05 सीट, Medical-Surgical Nursing-05 सीट एवं Obstetrics and Gynecological Nursing-05 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
(10–10)(d) विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय के अन्तर्गत पी0जी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तरीय B.Pharm. पाठ्यक्रम (60 सीट प्रतिवर्ष) संचालित है। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 25.09.2018 के एजेण्डा बिंदु–2 के अन्तर्गत फार्मेसी संकाय में फैकल्टी, उपकरण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि की उपलब्धता के दृष्टिगत फार्मेसी संकाय के परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था। विद्या परिषद

	के उक्त निर्णय पर कार्य परिषद की छठी बैठक दिनांक 26.09. 2018 में एजेण्डा बिंदु–21(2) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया था। **पृष्ठभूमि एवं कृत कार्यवाही:** अवगत कराना है कि कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 25.09. 2018 विधा परिषद के उक्त निर्णय पर कार्य परिषद की छठी बैठक दिनांक 26.09.2018 में एजेण्डा बिंदु–21(2) के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में फार्मेसी संकाय में वर्तमान उपलब्ध शिक्षकों, उपकरण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के दृष्टिगत M.Pharm. (Pharmaceutics)–06 सीट, M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry)–06 सीट, M.Pharm. (Pharmacology)–06 सीट एवं M.Pharm. (Pharmacognosy)–06 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र सं0 3126 दिनांक 23.02.2022 के द्वारा फार्मेसी संकाय में उक्त 4 विशिष्टताओं में प्रतिविशिष्टता 06 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। शासन से अभी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। **प्रस्ताव:** अतः फार्मेसी संकाय के अन्तर्गत चार विशिष्टताओं यथा M.Pharm. (Pharmaceutics)–06 सीट, M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry)–06 सीट, M.Pharm. (Pharmacology)–06 सीट एवं M.Pharm. (Pharmacognosy)–06 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी उक्तवत् कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्योत्तर अनुमोदन:** फार्मेसी संकाय के अन्तर्गत चार विशिष्टताओं यथा M.Pharm. (Pharmaceutics)–06 सीट, M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry)–06 सीट, M.Pharm. (Pharmacology)–06 सीट एवं M.Pharm. (Pharmacognosy)–06 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी उक्तवत् कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – फार्मेसी संकाय के अन्तर्गत चार विशिष्टताओं यथा M.Pharm. (Pharmaceutics)–06 सीट, M.Pharm. (Pharmaceutical Chemistry)–06 सीट, M.Pharm. (Pharmacology)–06 सीट एवं M.Pharm. (Pharmacognosy)–06 सीट से परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
(10–11) विश्वविद्यालय के संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजीडेण्ट डाक्टर्स को संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों के सादृश्य	**प्रस्तावना:** अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश सं0 09/2019/1363/71–4–2019–12/2017 टी0सी0–II दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के द्वारा विश्वविद्यालय के संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजीडेण्ट डाक्टर्स को संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अनुमन्य दरों एवं शर्तों/प्रतिबन्धों

भत्ते प्रदान किये जाने के संबंध में	के अनुसार दिनांक 01.07.2017 से भत्ते अनुमन्य किये गये हैं। **पृष्ठभूमि एवं कृत कार्यवाही:** उक्त शासनादेश के अनुपालन में एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के कार्यवृत्त पर मा0 कुलपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन दिनांक 27.11.2019 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 2609 दिनांक 27 नवम्बर, 2019 के द्वारा विश्वविद्यालय के संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजीडेण्ट डाक्टर्स को संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अनुमन्य दरों एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार दिनांक 01.07.2017 से भत्ते अनुमन्य किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 16.10.2019 व 20.11.2019 के कार्यवृत्त पर मा0 कुलपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन दिनांक 27.11.2019 के अनुपालन में उक्त भत्ते इस शर्त के अनुमन्य किये गये हैं कि आगामी कार्य परिषद की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। **प्रस्ताव:** विश्वविद्यालय के संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजीडेण्ट डाक्टर्स को संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अनुमन्य दरों एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार दिनांक 01.07.2017 से भत्ते अनुमन्य किये के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी उक्तवत् कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्योत्तर अनुमोदन:** विश्वविद्यालय के संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजीडेण्ट डाक्टर्स को संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अनुमन्य दरों एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार दिनांक 01.07.2017 से भत्ते अनुमन्य किये के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी उक्तवत् कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजीडेण्ट डाक्टर्स को संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अनुमन्य दरों एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार दिनांक 01.07.2017 से भत्ते अनुमन्य किये के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
(10–12) विश्वविद्यालय के कार्मिकों को एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने हेतु ए0सी0आर0 में Grading Benchmark के संबंध में।	(क) **प्रस्तावना:** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों हेतु प्रचलित ए0सी0आर0 फार्मेट एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में प्रचलित ए0सी0आर0 फार्मेट के अनुसार निर्धारित था। उक्त ए0सी0आर0 फार्मेट में ग्रेडिंग – Poor/Average/Good/Excellent/ Outstanding एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के अनुसार रखा गया था। **पृष्ठभूमि:** उल्लेखनीय है कि संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (MACP) के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0 F.No.35034/3/2015-Estt.(D) Dt. 27/28 September, 2016 के बिन्दु सं0 4 के अन्तर्गत व्यवस्था की गयी है कि "Benchmark for performance appraisal for promotion and financial upgradation under MACPS to be enhanced from 'Good' to 'Very Good'."। विश्वविद्यालय में 7वें वेतन आयोग की संस्तुति वर्ष

	2018 में लागू हुई है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि कतिपय कार्मिकों के मूल्यांकन वर्ष 2016–17 से 2020–21 के मध्य ए0सी0आर0 में ग्रेडिंग 'Good' प्राप्त हुआ था, क्योंकि तत्समय विश्वविद्यालय में प्रचलित ए0सी0आर0 फार्मेट में 'Very Good' का विकल्प नहीं था। ऐसे कार्मिकों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0 F.No.35034/3/2015-Estt.(D) Dt. 27/28 September, 2016 में की गयी व्यवस्था के अनुसार MACP अनुमन्य करने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। **कृत कार्यवाही**: अतः विश्वविद्यालय के ऐसे कार्मिक जिन्हें वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 के मध्य ए0सी0आर0 में ग्रेडिंग 'Good' मिली है, उन्हें प्राप्त ग्रेडिंग 'Good' को 'Very Good' मानते हुए MACP अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2021–22 से ए0सी0आर0 फार्मेट में 'Good' के स्थान पर 'Very Good' कर दिया गया है। **प्रस्ताव**: विश्वविद्यालय के ऐसे कार्मिक जिन्हें वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 के मध्य एस0सी0आर में ग्रेडिंग 'Good' मिली है, उन्हें प्राप्त ग्रेडिंग 'Good' को 'Very Good' मानते हुए MACP अनुमन्य किये जाने के निर्णय/कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें। (ख) **प्रस्तावना**: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान) में वर्ष 2016 से पूर्व गैर शैक्षणिक कार्मिकों को राज्य सरकार के अनुसार सेवा लाभ अनुमन्य होने के कारण एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए0सी0आर0 में 'Satisfactory' ग्रेडिंग होने पर ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था लागू थी। वर्ष 2016 में संस्थान के विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के उपरान्त गैर शैक्षणिक कार्मिकों के सेवा लाभ एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के अनुसार अनुमन्य किये गये जिसके फलस्वरूप एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था लागू है। एम0ए0सी0पी0 प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार ए0सी0आर0 में ग्रेडिंग बेंचमार्क 'Very Good' होना आवश्यक है। उक्त व्यवस्था के आलोक में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को वर्ष 2016 से पूर्व 'Satisfactory' की ग्रेडिंग को मानते हुए पूर्व में एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य की गयी है। **पृष्ठभूमि**: उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में गैर शैक्षणिक कार्मिकों को एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने के दौरान ऐसे कार्मिक जिन्हें वर्ष 2016 से पूर्व ए0सी0आर0 में 'Satisfactory' ग्रेडिंग प्राप्त हुई थी, उन्हें छोड़कर शेष अन्य को एम0ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त कार्मिकों के ए0सी0आर0 में वर्ष 2016 से पूर्व 'Satisfactory' ग्रेडिंग का उल्लेख है किन्तु संबंधित मूल्यांकन वर्ष में उन्हें किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गयी है, बल्कि प्रशंसित किया गया है। चूंकि वर्ष 2016 से पूर्व ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू थी और 'Satisfactory' ग्रेडिंग होने

	पर ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था थी, अतएव, ऐसे कार्मिक जिन्हें वर्ष 2016 से पूर्व ए0सी0आर0 में 'Satisfactory' ग्रेडिंग प्राप्त हुई थी, उन्हें ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु वर्ष 2016 से पूर्व प्राप्त 'Satisfactory' ग्रेडिंग को आधार मानते हुए एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किया जाना उचित प्रतीत होता है। **कृत कार्यवाही:** वर्ष 2016 से एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के नियमानुसार एम0ए0सी0पी0 लागू है, अतः कार्यालय आदेश सं0 797/यूपीयूएमएस/प्रशासन(399)/ 2022–23 दिनांक 28.05.2022 के द्वारा समस्त प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता प्राधिकारियों को यह अवगत कराया गया है कि मात्र संतोषजनक मंतव्य अंकित करने से कार्मिकों के सेवा लाभ प्रभावित होते हैं। साथ ही निर्देशित किया गया है कि कार्मिकों के कार्य की प्रकृति आदि का परीक्षण करते हुए ए0सी0आर0 प्रारूप में दर्शाये गये विभिन्न ग्रेडिंग स्तर के अनुसार मंतव्य अंकित किया जाये। **प्रस्ताव:** अतः ऐसे कार्मिक जिन्हें वर्ष 2016 से पूर्व ए0सी0आर0 में 'Satisfactory' ग्रेडिंग प्राप्त हुई थी, किन्तु संबंधित मूल्यांकन वर्ष में उन्हें किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गयी है, बल्कि प्रशंसित किया गया है, के दृष्टिगत उन्हें ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु वर्ष 2016 से पूर्व प्राप्त 'Satisfactory' ग्रेडिंग को एम0ए0सी0पी0 हेतु अर्ह मानते हुए एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः (क)** विश्वविद्यालय के ऐसे कार्मिक जिन्हें वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 के मध्य एस0सी0आर में ग्रेडिंग 'Good' मिली है, उन्हें प्राप्त ग्रेडिंग 'Good' को 'Very Good' मानते हुए MACP अनुमन्य किये जाने के निर्णय/कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें। **(ख)** विश्वविद्यालय के ऐसे कार्मिक जिन्हें वर्ष 2016 से पूर्व ए0सी0आर0 में 'Satisfactory' ग्रेडिंग प्राप्त हुई थी, किन्तु संबंधित मूल्यांकन वर्ष में उन्हें किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गयी है, बल्कि प्रशंसित किया गया है, के दृष्टिगत उन्हें ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु वर्ष 2016 से पूर्व प्राप्त 'Satisfactory' ग्रेडिंग को एम0ए0सी0पी0 हेतु अर्ह मानते हुए एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – (क) विश्वविद्यालय के ऐसे कार्मिक जिन्हें वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 के मध्य ए0सी0आर में ग्रेडिंग 'Good' मिली है, उन्हें प्राप्त ग्रेडिंग 'Good' को 'Very Good' मानते हुए MACP अनुमन्य किये जाने के निर्णय/कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई एवं उक्तवत् कार्यवाही हेतु सहमति प्रदान की गयी।

(ख) मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार में लागू शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा पूर्व में यदि शासनादेश के विपरीत कोई कार्यवाही हुई उसको भी दूर किया जाये।

(10–13) मा0 कार्य परिषद की आठवीं बैठक के उपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर गैर–शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी एम0ए0सी0पी0 की व्यवस्था से अवलोकित कराया जाना।	अवगत कराना है कि कार्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 12.09.2019 के उपरान्त संलग्न सूची के अनुसार विश्वविद्यालय के गैर–शैक्षणिक पदधारकों को 10 वर्ष की सेवा/अर्हता पूर्ण करने पर एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य की गयी जिसे कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। **<u>प्रस्ताव अवलोकनार्थः</u>** कार्य परिषद की आठवीं बैठक के उपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर गैर–शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी एम0ए0सी0पी0 की व्यवस्था से कार्य परिषद अवगत होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय स्तर पर गैर–शैक्षणिक पदधारकों को प्रदान की गयी एम0ए0सी0पी0 की व्यवस्था से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	
(10–14) विश्वविद्यालय की वेबसाइट, संबंधित संकाय की काउंसिल की वेबसाइट एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जा रहे अंकपत्रों में पूर्ववर्ती नाम के स्थान पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधानान्तर्गत संकायों के नाम किये जाने के संबंध में	**<u>प्रस्तावनाः</u>** अवगत कराना है कि मा0 कुलपति जी के संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट, संबंधित संकाय की काउंसिल की वेबसाइट एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जा रहे अंकपत्रों में संकायों के पूर्ववर्ती नाम (College of Nursing, College of Pharmacy, College of Paramedical) का उपयोग किया जा रहा है। **<u>पृष्ठभूमिः</u>** अवगत कराना है कि उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा एवं उससे संबंधित दन्त विज्ञान, पैरामेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज एवं कालेज आफ फार्मेसी को हस्तांतरित करते हुए उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की स्थापना की गयी। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–25(1) में यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय में पाँच संकाय होंगे, अर्थात चिकित्सा और दन्त, पैरामेडिकल विज्ञान, नर्सिंग और फार्मेसी। **<u>कृत कार्यवाहीः</u>** उक्त का संज्ञान लेते हुए कार्यालय आदेश सं0 6442 दिनांक 09.03.2022 के द्वारा पूर्ववर्ती नाम College of Nursing, College of Pharmacy और College of Paramedical के स्थान पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधानान्तर्गत अधिकारिक दस्तावेजों एवं पत्राचार में क्रमशः Faculty of Nursing, Faculty of Pharmacy और Faculty of Paramedical Sciences करते हुए कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सभी संकायों का नाम तद्नुसार परिवर्तित किया जा चुका है। **<u>प्रस्तावः</u>** पूर्ववर्ती नाम College of Nursing, College of Pharmacy और College of Paramedical के स्थान पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधानान्तर्गत अधिकारिक दस्तावेजों एवं पत्राचार में क्रमशः Faculty of Nursing, Faculty of Pharmacy और Faculty of Paramedical Sciences के संबंध में की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया जाना अपेक्षित है। **<u>प्रस्ताव अवलोकनार्थः</u>** पूर्ववर्ती नाम College of Nursing, College of Pharmacy और College of Paramedical के स्थान पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधानान्तर्गत अधिकारिक दस्तावेजों एवं पत्राचार में क्रमशः Faculty of Nursing, Faculty of Pharmacy और Faculty of Paramedical Sciences के संबंध में की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – पूर्ववर्ती नाम College of Nursing, College of Pharmacy और College of Paramedical के स्थान पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधानान्तर्गत अधिकारिक दस्तावेजों एवं पत्राचार	

में क्रमशः Faculty of Nursing, Faculty of Pharmacy और Faculty of Paramedical Sciences के संबंध में की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	
(10–15) विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित फायर ब्रिगेड के 12 आवासों को पी0आर0ए0 नामित करने, रोगियों के तीमारदारों के लिए आरक्षित करने एवं उक्त के शुल्क निर्धारण के संबंध में	**प्रस्तावनाः** विश्वविद्यालय परिसर में चिकित्सालय के निकट फायर ब्रिगेड के 12 क्वार्टर्स निर्मित हैं जिसमें लोग अनाधिकृत रूप से कब्जा कर निवास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की कोरोना कम प्रेशर डिफ्यूजल समिति की बैठक दिनांक 22.12.2021 में संज्ञान लिया गया कि अनाधिकृत रूप से कब्जा कर निवास कर रहे लोगों को तत्काल फायर ब्रिगेड क्वार्टर्स से हटवाया जाये। **पृष्ठभूमि एवं निर्णयः** निर्णय लिया गया कि फायर ब्रिगेड क्वार्टर्स के समस्त आवासों को रोगियों के तीमारदारों हेतु आरक्षित किये जाने की कार्यवाही की जाये। उक्त हेतु रू0 300/– प्रतिदिन प्रति व्यक्ति (अधिकतम 07 दिवसों हेतु) का शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही फायर ब्रिगेड क्वार्टर हेतु डा0 अतित कुमार, असि0 प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग को प्रभारी नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। **कार्यवाहीः** कोरोना कम प्रेशर डिफ्यूजल समिति के उक्त निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 5750 दिनांक 04 जनवरी, 2022 के द्वारा फायर ब्रिगेड के 12 आवासों को पी0आर0ए0 नामित करते हुए डा0 अतित कुमार, असि0 प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग को उक्त आवासों का प्रभारी नामित किया गया है। उक्त कार्यालय आदेश के द्वारा फायर ब्रिगेड आवासों को रोगियों के तीमारदारों के लिए आरक्षित करने हेतु रू0 300/– प्रतिदिन प्रति व्यक्ति (अधिकतम 07 दिवसों हेतु) का शुल्क निर्धारित करते हुए प्राप्त धनराशि विश्वविद्यालय के खाते में जमा करने के आदेश पारित किये गये हैं। **प्रस्तावः** अतः विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित फायर ब्रिगेड के 12 आवासों को पी0आर0ए0 नामित करने, रोगियों के तीमारदारों के लिए आरक्षित करने एवं उक्त के शुल्क निर्धारण के संबंध में की गयी उक्तवत् कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया जाना अपेक्षित है। **प्रस्ताव अवलोकनार्थः** विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित फायर ब्रिगेड के 12 आवासों को पी0आर0ए0 नामित करने, रोगियों के तीमारदारों के लिए आरक्षित करने एवं उक्त के शुल्क निर्धारण के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर से की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित फायर ब्रिगेड के 12 आवासों को पी0आर0ए0 नामित करने, रोगियों के तीमारदारों के लिए आरक्षित करने एवं उक्त के शुल्क निर्धारण के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर से की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	
(10–16) विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधीक्षक के प्रभार के संबंध में	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र सं0 123505/2021 दिनांक 18.12.2021 में टेण्डर प्रक्रिया (रोगी आहार सेवा) में की गयी वित्तीय अनियमितता में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी 10 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिनमें डा0 आदेश कुमार (प्रभारी पेशेण्ट किचेन) का नाम भी सम्मिलित था। डा0 आदेश कुमार, प्रोफेसर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग तत्समय चिकित्सा अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे।

	कृत कार्यवाहीः शासन के उक्त निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 5634 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के द्वारा उक्त अधिकारियों / कर्मचारियों की विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रो0 आलोक कुमार, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) को जाँच अधिकारी नामित किया गया था। प्रो0 आलोक कुमार के विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त होने के कारण कार्यालय आदेश सं0 5794 दिनांक 08.01.2022 के द्वारा प्रो0 पी0के0 जैन, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) को जाँच अधिकारी नामित किया गया है। उक्त कार्यवाही के समय डा0 आदेश कुमार जो कि चिकित्सा अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे, को कार्यालय आदेश सं0 5635 दिनांक 28.12.2021 के द्वारा चिकित्सा अधीक्षक के अतिरिक्त प्रभार से अवमुक्त करते हुए डा0 एस0पी0 सिंह, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग को चिकित्सा अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। **प्रस्तावः** शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में डा0 आदेश कुमार, प्रोफेसर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण डा0 एस0पी0 सिंह, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग को चिकित्सा अधीक्षक के प्रभार सौंपे जाने के संबंध में उक्तवत की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत कराया जाना है। **प्रस्ताव अवलोकनार्थः** शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में डा0 आदेश कुमार, प्रोफेसर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण डा0 एस0पी0 सिंह, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग को चिकित्सा अधीक्षक के प्रभार सौंपे जाने के संबंध में उक्तवत की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में डा0 आदेश कुमार, प्रोफेसर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण डा0 एस0पी0 सिंह, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग को चिकित्सा अधीक्षक के प्रभार सौंपे जाने के संबंध में की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	
(10–17) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय) एवं संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय) के प्रभार के संबंध में	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के संकायों में संकायाध्यक्षों का कार्यकाल पूर्ण होने अथवा पद रिक्त होने पर संबंधित संकाय के वरिष्ठ फैकल्टी को संकायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। **नियमः** अवगत कराना है कि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की धारा–25(1) में यह व्यवस्था है कि "विश्वविद्यालय में पाँच संकाय होंगे, अर्थात चिकित्सा और दन्त, पैरामेडिकल विज्ञान, नर्सिंग और फार्मेसी जिसमें प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम में चुना जायेगा और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा। **संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय):** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 1856 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा डा0 आलोक कुमार, प्रोफेसर, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग को संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के अधिसूचना नियुक्ति पत्र दिनांक 31. 12.2021 के द्वारा डा0 आलोक कुमार 03 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति

	के आधार पर उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं सम्बद्ध काउंसिल के सचिव कम रजिस्ट्रार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा0 आलोक कुमार को कार्यालय आदेश सं0 2745 दिनांक 03.01.2022 के द्वारा विश्वविद्यालय की सेवाओं से कार्यमुक्त किया गया था। इस प्रकार विश्वविद्यालय में संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) का पद रिक्त हो जाने के कारण चिकित्सा संकाय में वरिष्ठतम संकाय सदस्य प्रो0 पी0के0 जैन, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग को विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 5732 दिनांक 03. 01.2022 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय) के पद का प्रभार सौंपा गया है। **संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय):** अवगत कराना है कि डा0 कमल पंत, एसोसिएट प्रोफेसर, ऑप्टोमेट्री द्वारा संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय) के पद पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा 25(4) के प्राविधानान्तर्गत कार्यालय आदेश सं0 2238 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा डा0 सूरज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, फिजियोथेरेपी को अग्रिम आदेशों तक विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष का प्रभार अस्थाई रूप से सौंपा गया है। **संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय):** अवगत कराना है कि श्रीमती बिजी बिजू, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल, नर्सिंग द्वारा संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय) के पद पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा 25(4) के प्राविधानान्तर्गत कार्यालय आदेश सं0 2291 दिनांक 04.11.2020 के द्वारा श्रीमती ज्योति बाला, प्रोफेसर, नर्सिंग को तीन वर्ष की अवधि के लिये विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय का संकायाध्यक्ष नामित किया गया है। **संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय):** अवगत कराना है कि डा0 देवेन्द्र पाठक, प्राचार्य, फार्मेसी द्वारा संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय) के पद पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा 25(4) के प्राविधानान्तर्गत कार्यालय आदेश सं0 1985 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा डा0 कमला पाठक, प्रोफेसर, फार्मेसी को तीन वर्ष की अवधि के लिये विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय का संकायाध्यक्ष नामित किया गया है। **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकय) एवं संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय) के प्रभार के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उक्तवत् की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया जाना है। **प्रस्ताव अवलोकनार्थः** विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकय) एवं संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय) के प्रभार के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उक्तवत् की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत होना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल	

<table>
<tr><td colspan="2">विज्ञान संकाय), संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकय) एवं संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय) के प्रभार के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।</td></tr>
<tr><td>(10–18) न्यू ओ0पी0डी0 ब्लाक के भूतल में ओ0पी0डी0 का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 12.09.2019 में एजेण्डा बिन्दु–11 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उक्त पर लिये गये निर्णय के संशोधन के संबंध में</td><td><u>प्रस्तावना</u>: अवगत कराना है कि कार्यपरिषद की आठवीं बैठक दिनांक 12.09.2019 के एजेण्डा बिन्दु–11 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कि "न्यू ओ0पी0डी0 ब्लाक के भूतल को ओ0पी0डी0 में परिवर्तित करने एवं उक्त कार्य हेतु अनुमानित व्यय रु0 194.73 लाख (विद्युत एवं सिविल कार्य) के संबंध में मा0 कार्य परिषद कृपया अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें"।

<u>पृष्ठभूमि</u>: कार्य परिषद की आठवीं बैठक में उक्त एजेण्डा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की ओ0पी0डी0 में बढ़ती हुई मरीजों एवं उनके तीमारदारों की संख्या के दृष्टिगत वर्तमान ओ0पी0डी0 का विस्तार करने की आवश्यकता के दृष्टिगत न्यू ओ0पी0डी0 ब्लाक के भूतल जिसको पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, को ओ0पी0डी0 में परिवर्तित कर उक्त ओ0पी0डी0 विस्तार में कुल 15 ओ0पी0डी0 कक्ष एवं 01 टीचिंग/सेमिनार कक्ष के साथ ओ0पी0डी0 स्थल के आस–पास के क्षेत्र को रिनोवेट किये जाने के संबंध में इस कार्य हेतु रु0 194.73 लाख (विद्युत एवं सिविल कार्य) का व्यय होने के संबंध में अवगत कराया गया था। उक्त के संबंध में अवगत कराया गया था कि निर्माण निगम को पूर्व में पैरामेडिकल में पार्टीशन कार्य हेतु रु0 80.86 लाख पैरामेडिकल के अनुरक्षण बजट से दिये जा चुके हैं, जिसे ओ0पी0डी0 विस्तार के कार्य हेतु प्रयोग किया जा रहा है। शेष धनराशि 113.87 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय की आय/बचतों से दी जा सकती है।

<u>कार्यवाही की स्थिति</u>: उल्लेखनीय है कि न्यू ओ0पी0डी0 ब्लाक के भूतल को ओ0पी0डी0 में परिवर्तित करने के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा दिनांक 20.07.2022 को मा0 कुलपति महोदय द्वारा इसका लोकार्पण किया जा चुका है।

<u>संशोधन की आवश्यकता</u>: अवगत कराना है कि प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव के क्रम में मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदन में आंशिक संशोधन की आवश्यकता इस आशय से है कि अनुमानित व्यय रु0 194.73 लाख (विद्युत एवं सिविल कार्य) में से निर्माण निगम को पूर्व में पैरामेडिकल में पार्टीशन कार्य हेतु रु0 80.86 लाख पैरामेडिकल के अनुरक्षण बजट से दिये जा चुके थे, मात्र शेष धनराशि 113.87 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय की आय/बचतों से दी जानी थी। अतः उक्त प्रस्ताव संशोधित किया जाना आवश्यक है।

<u>संशोधित प्रस्ताव</u>: न्यू ओ0पी0डी0 ब्लाक के भूतल को ओ0पी0डी0 में परिवर्तित करने के कार्य हेतु अनुमानित व्यय रु0 194.73 लाख (विद्युत एवं सिविल कार्य) में से निर्माण निगम को पूर्व में पैरामेडिकल में पार्टीशन कार्य हेतु रु0 80.86 लाख पैरामेडिकल के अनुरक्षण बजट से दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान करने एवं शेष रु0 113.87 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय की आय/बचतों से दिये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।</td></tr>
</table>

	प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः न्यू ओ0पी0डी0 ब्लाक के भूतल को ओ0पी0डी0 में परिवर्तित करने के कार्य हेतु अनुमानित व्यय रु0 194.73 लाख (विद्युत एवं सिविल कार्य) में से निर्माण निगम को पूर्व में पैरामेडिकल में पार्टीशन कार्य हेतु रु0 80.86 लाख पैरामेडिकल के अनुरक्षण बजट से दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान करने एवं शेष रू0 113.87 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय की आय/बचतों से दिये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद कृपया अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – न्यू ओ0पी0डी0 ब्लाक के भूतल को ओ0पी0डी0 में परिवर्तित करने के कार्य हेतु अनुमानित व्यय रु0 194.73 लाख (विद्युत एवं सिविल कार्य) में से निर्माण निगम को पूर्व में पैरामेडिकल में पार्टीशन कार्य हेतु रु0 80.86 लाख पैरामेडिकल के अनुरक्षण बजट से दिये जाने एवं शेष रू0 113.87 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय की आय/बचतों से दिये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
(10–19) विश्वविद्यालय परिसर में पी0आई0सी0यू0 की स्थापना के स्थापना के संबंध में	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि नोडल अधिकारी, पी0आई0सी0यू0 ने अपने पत्र सं0 36/पीडिया/यूपीयूएमएस/2021–22 दिनांक 17.05.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र सं0 एम0ई0–1/2021/2017 दिनांक 12.05.2021 के कम में कोरोना की सम्भावित तृतीय लहर के दृष्टिगत बाल रोग विभाग में आई0सी0यू0 स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसके लिये न्यू ओ0पी0डी0 भवन के पंचम तल पर स्थित पीडिया सर्जरी वार्ड को चिन्हित किया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस वार्ड को स्थापित करने के लिये बैड हेड पैनल लगाये जाने की आवश्यकता है। एक अन्य पत्र सं0 37/पीडिया/यूपीयूएमएस/2021–22 दिनांक 17.05.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि इस वार्ड को स्थापित करने हेतु ऑक्सीजन बैकअप, नये ऑक्सीजन एवं सक्शन पोर्ट लगाये जाने की भी आवश्यकता होगी। **पृष्ठभूमि एवं कृत कार्यवाहीः** विश्वविद्यालय के पत्र सं0 539/यूपीयूएमएस/ अनु0(171)/2021–22 दिनांक 27.05.2022 के माध्यम से न्यू ओ0पी0डी0 भवन के पंचम तल पर स्थित पीडिया सर्जरी वार्ड को आई0सी0यू0 वार्ड बनाये जाने के लिये विद्युत कार्यो को कराये जाने हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 की विद्युत इकाई को आगणन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 27.05.2022 के कम में इकाई प्रभारी, विद्युत इकाई, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 ने अपने पत्र सं0 513/रानिनि/इ.यू.इ./कोविड एमजीपीएस आगणन/2021 दिनांक 14.06.2021 के माध्यम से रू0 51.76 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, इटावा ने अपने पत्र सं0 236/सांसद निधि/राज्य सभा सदस्य/कोविड–19/2021–22 दिनांक 16.06.2021 के माध्यम से उपरोक्त कार्यो हेतु रू0 50.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। उक्त के कम में विश्वविद्यालय स्तर से इकाई प्रभारी, विद्युत इकाई, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्य आदेश जारी किये गये। विवरण निम्नवत् हैः –

क0	कार्य आदेश सं0 व दिनांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1	1096/ई/यूपीयूएमएस/ अनु0(171)/ 2021–22 दिनांक 16.07.2021	पी0आई0सी0यू0 अपग्रेडेशन के कार्यो के अन्तर्गत आक्सीजन गैस पाइप लाइन तथा प्रेषित आगणन में उल्लिखित बैड हेड पैनल के कार्यो को छोड़ते हुए अन्य विद्युत कार्य।	रू0 32,73,500/–
2	1781/ई/यूपीयूएमएस/ अनु0(171)/ 2021–22 दिनांक 14.09.2021	चिकित्सालय के ओ0पी0डी0 भवन के पी0आई0सी0यू0 में बैड हेड पैनल एवं ऑक्सीजन प्वाइंट लगाये जाने से सम्बन्धित विद्युत कार्य।	रू0 17,26,500/–
		योग	रू0 50,00,000/–

प्रस्तावः कोरोना की सम्भावित तृतीय लहर के दृष्टिगत बाल रोग विभाग में आई0सी0यू0 स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सांसद निधि से प्राप्त धनराशि रू0 50.00 लाख के अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यो को कराया जा चुका है। अतः उक्त के सम्बन्ध में कार्य परिषद का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्योत्तर अनुमोदनः</u> कोरोना की सम्भावित तृतीय लहर के दृष्टिगत बाल रोग विभाग में आई0सी0यू0 स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सांसद निधि से प्राप्त धनराशि रू0 50.00 लाख के अन्तर्गत कराये गये उपरोक्त कार्यो के सम्बन्ध में कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – कोरोना की सम्भावित तृतीय लहर के दृष्टिगत बाल रोग विभाग में आई0सी0यू0 स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में सांसद निधि से प्राप्त धनराशि रू0 50.00 लाख के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मा0 कार्य परिषद द्वारा मा0 सांसद जी को सांसद निधि उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(10–20) विश्वविद्यालय परिसर में 50 बेडेड Infectious Disease Block की स्थापना के संबंध में

<u>प्रस्तावनाः</u> संज्ञान में लाना है कि परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, इटावा ने अपने पत्र सं0 236/सांसद निधि/राज्य सभा सदस्य/कोविड–19/2021–22 दिनांक 16.06.2021 के माध्यम से यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई के एक अन्य भवन में आक्सीजन गैस पाइप लाइन लगाने हेतु सांसद निधि से रू0 25.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

<u>पृष्ठभूमि एवं कृत कार्यवाहीः</u> विश्वविद्यालय के पत्र सं0 1022/ई/यूपीयूएमएस/अनु0/ 2021–22 दिनांक 09.07.2021 के माध्यम से इकाई प्रभारी, विद्युत इकाई, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 रैन बसेरा (कोविड हास्पिटल) में ऑक्सीजन पाइप लाइन स्थापित किये जाने हेतु रू0 25.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत आगणन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के कम में इकाई प्रभारी, विद्युत इकाई द्वारा अपने पत्र सं0 598/रानिनि/इ.यू.इ./रैन बसेरा आगणन/2021 दिनांक 09.07.2021 के माध्यम से रू0 23.81 लाख का आगणन गठित कर प्रस्तुत किया गया। निर्माण निगम द्वारा प्रेषित आगणन के कम में विश्वविद्यालय के पत्र सं0 2034/ई/यूपीयूएमएस/अनु0(176)/ 2021–22 दिनांक 06.10.2021 के माध्यम से कार्य आदेश जारी किया गया। जारी कार्य आदेश के सापेक्ष कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा कार्यो को पूर्ण करा दिया गया है तथा उन्हें भुगतान की

कार्यवाही भी की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त कोविड महामारी के दृष्टिगत रैन बसेरा भवन में उपचार हेतु भर्ती होने वाले रोगियों हेतु प्रथम तल तक रैम्प बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी। उपरोक्त कार्यो हेतु विश्वविद्यालय के पत्र सं0 1044/ई/यूपीयूएमएस/अनु0/2021–22 दिनांक 10.07.2021 के माध्यम से इकाई प्रभारी, सैफई इकाई–1, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से आगणन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के कम में इकाई द्वारा अपने पत्र सं0 403/रानिनि/सै0ई0–1 इटावा/2021 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से रू 27.33 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया। उक्त आगणन के Bill of Quantity esa SOR Schedule No. का उल्लेख न होने तथा जी0एस0टी0 सम्मिलित न होने के कारण उक्त को आगणन में सम्मिलित कर पुनः संशोधित आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र सं0 131/यूपीयूएमएस/अनु0/2021–22 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को निर्देश दिये गये जिसके क्रम में इकाई द्वारा अपने पत्र सं0 410/रानिनि/सैफई इकाई–1 इटावा/2021 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से रू0 26.52 लाख का आगणन पुनः गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था को विश्वविद्यालय के पत्र सं0 2010/ई/यूपीयूएमएस/अनु0 सिविल(139)/ 2021–22 दिनांक 01.10.2021 के माध्यम से कार्य आदेश जारी किया गया। जारी कार्य आदेश के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यो को पूर्ण करा दिया गया है एवं उन्हें भुगतान की कार्यवाही भी की जा चुकी है।

प्रस्तावः कोविड महामारी के दृष्टिगत उपरोक्त कार्यो को कराया गया है और कार्य पूर्ण भी हो चुके है तथा उक्त भवन को रोगियों के हितों हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। संज्ञान में लाना है कि रैन बसेरा भवन को Infectious Disease Block का नाम दिया गया है तथा उसे Infectious Disease से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। अतः उक्त पर कार्य परिषद का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्योत्तर अनुमोदनः कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत सांसद निधि से प्राप्त धनराशि रू0 25.00 करोड़ के अन्तर्गत ऑक्सीजन पाइप लाइन स्थापित करने के सम्बन्ध में कराये गये कार्य तथा कोविड–19 रोगियों हेतु रैन बसेरा के प्रथम तल तक धनराशि रू0 26.52 लाख के अन्तर्गत रैम्प निर्माण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर से की गयी कार्यवाही पर कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना चाहें। साथ ही विश्वविद्यालय स्तर से रैन बसेरा को Infectious Disease Block का नाम दिये जाने के सम्बन्ध में भी कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय – कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत मा0 सांसद निधि से प्राप्त धनराशि रू0 25.00 करोड़ के अन्तर्गत ऑक्सीजन पाइप लाइन स्थापित करने के सम्बन्ध में कराये गये कार्य तथा कोविड–19 रोगियों हेतु रैन बसेरा के प्रथम तल तक धनराशि रू0 26.52 लाख के अन्तर्गत रैम्प निर्माण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर से की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय स्तर से रैन बसेरा को Infectious Disease Block का नाम दिये

<table>
<tr><td colspan="2">जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा रैन बसेरा को Infectious Disease Block बनाये जाने हेतु प्रशंसित किया गया।</td></tr>
<tr><td>(10–21) विश्वविद्यालय परिसर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में।</td><td><u>प्रस्तावना</u>: अवगत कराना है कि कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में उ0प्र0 शासन के सहयोग से मै0 आन्जनेय द्वारा 02 नग एवं डी0आर0डी0ओ0 द्वारा 01 नग अर्थात कुल 03 नग ऑक्सीजन प्लान्ट स्थापित किये गये थे।
<u>पृष्ठभूमि एवं कृत कार्यवाही</u>: ऑक्सीजन प्लान्टों हेतु इमरजेन्सी पावर सप्लाई की व्यवस्था कराये जाने हेतु आगणन उपलब्ध कराये जाने के लिये इकाई प्रभारी, विद्युत इकाई, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को विश्वविद्यालय से पत्र सं0 368/ई/यूपीयूएमएस/अनु0(विद्युत)/ 2021–22 दिनांक 13.05.2021 प्रेषित किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के कम में इकाई प्रभारी, विद्युत इकाई, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा अपने पत्र सं0 437/रानिनि/इ.यू.इ./आगणन ऑक्सीजन प्लान्ट/2021 दिनांक 14.05.2021 के माध्यम से रू0 18.21 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन का परीक्षण करने पर उपरोक्त कार्यो हेतु रू0 17.30 लाख की धनराशि उचित पायी गयी। उक्त के कम में विश्वविद्यालय के पत्र सं0 463/ई/यूपीयूएमएस/अनु0/2021–22 दिनांक 20.05.2021 के माध्यम से कार्य आदेश जारी किया गया। जारी किये गये कार्य आदेश के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यो को पूर्ण करा दिया गया है तथा उन्हें भुगतान की कार्यवाही भी की जा चुकी है।
<u>प्रस्ताव</u>: कोविड महामारी के दृष्टिगत उपरोक्त कार्यो को कराया गया है और कार्य पूर्ण भी हो चुके है। कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में उ0प्र0 शासन के सहयोग से मै0 आन्जनेय द्वारा 02 नग एवं डी0आर0डी0ओ0 द्वारा 01 नग अर्थात कुल 03 नग ऑक्सीजन प्लान्ट हेतु इमरजेन्सी पावर सप्लाई की व्यवस्था हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से धनराशि रू0 17.30 लाख के अन्तर्गत कराये गये कार्यों पर कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है।
<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्योत्तर अनुमोदन</u>: कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में उ0प्र0 शासन के सहयोग से मै0 आन्जनेय द्वारा 02 नग एवं डी0आर0डी0ओ0 द्वारा 01 नग अर्थात कुल 03 नग ऑक्सीजन प्लान्ट हेतु इमरजेन्सी पावर सप्लाई की व्यवस्था हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से धनराशि रू0 17.30 लाख के अन्तर्गत कराये गये कार्यों पर कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहे।</td></tr>
<tr><td colspan="2">कार्य परिषद का निर्णय – कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में उ0प्र0 शासन के सहयोग से मै0 आन्जनेय द्वारा 02 नग एवं डी0आर0डी0ओ0 द्वारा 01 नग अर्थात कुल 03 नग ऑक्सीजन प्लान्ट हेतु इमरजेन्सी पावर सप्लाई की व्यवस्था हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से धनराशि रू0 17.30 लाख के अन्तर्गत कराये गये कार्यों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>(10–22) विश्वविद्यालय परिसर में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के माध्यम से</td><td><u>प्रस्तावना</u>: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के माध्यम से सिविल कार्य कराये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत्</td></tr>
</table>

कराये गये कार्यो के सम्बन्ध में।

है:–

कम	कार्य का विवरण	कार्य आदेश सं0 व दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	रैन बसेरा भवन में एल्यूमिनियम पार्टीशन के निर्माण सम्बन्धी कार्य।	1889 दि0 28.09.20	2.41
2	विश्वविद्यालय के पुराने चिकित्सालय भवन, ट्रामा सेन्टर में एल्यूमिनियम पार्टीशन एवं प्लम्बिंग सम्बन्धी कार्य।	2253 दि0 24.10.20	6.55
3	विश्वविद्यालय के पुराने चिकित्सालय भवन के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल पर कोविड–19 के अन्तर्गत विभिन्न सिविल कार्यो को कराये जाने के सम्बन्ध में।	205 दि0 27.04.2020	14.96
4	कोविड–19 के अन्तर्गत सिविल कार्यो को कराये जाने के सम्बन्ध में।	507 दि0 22.05.2020	18.57
5	पुराने चिकित्सालय भवन एवं न्यू ओ0पी0डी0, ट्रामा सेन्टर व मेडिकल कालेज में एल्यूमिनियम पार्टीशन, प्लम्बिंग सम्बन्धी कार्य।	1479 दि0 20.08.20	21.77
6	पुराने चिकित्सालय भवन, न्यू ओ0पी0डी0, ट्रामा सेन्टर एवं मेडिकल कालेज में एल्यूमिनियम पार्टीशन एवं प्लम्बिंग सम्बन्धी कार्य।	2794 दि0 12.12.20	5.96
		कुल योग	70.22

प्रस्तावः उपरोक्त कार्यो को कराये जाने हेतु रू0 70.22 लाख का व्यय भार आया है। उपरोक्त कार्यो को उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के माध्यम से कराया गया है। चूंकि उपरोक्त कार्यो को चिकित्सालय की आवश्यकताओं एवं रोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कराया जा चुका है। अतः उक्त पर कार्य परिषद का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्योत्तर अनुमोदनः विश्वविद्यालय परिसर में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के माध्यम से धनराशि रू0 70.22 लाख के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहे।

कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय परिसर में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के माध्यम से धनराशि रू0 70.22 लाख के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(10–23) विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठयक्रमों की डिग्री (उपाधि) के संबंध में

प्रस्तावनाः अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने अपने पत्रांक 2750/यूपीयूएमएस/2022–23 दिनांक 04 जुलाई, 2022 के द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में डिग्री (उपाधि) अवार्ड की जाने हेतु निर्धारित किये गये प्रारूप पर कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

पृष्ठभूमिः उक्त निर्धारित किये गये प्रारूप का विवरण निम्नवत है:–

Faculty	Degree Programme	Degree
Faculty of Paramedical Sciences	UG	Bachelor of Optometry (B.OPTOM)
		Bachelor of Physiotherpy (B.P.T.)
		Bachelor of Science in Radiological and Imaging Techniques (B.R.I.T.)
		Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology (B.M.L.T.)
Faculty of Nursing	UG	Bachelor of Science (Nursing)
Faculty of Pharmacy	UG	Bachelor of Pharmacy
Faculty of Medicine	UG	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
	PG(MD)	Doctor of Medicine Anatomy
		Doctor of Medicine Biochemistry

		Doctor of Medicine Physiology
		Doctor of Medicine Pharmacology
		Doctor of Medicine Microbiology
		Doctor of Medicine Pathology
		Doctor of Medicine Community Medicine
		Doctor of Medicine General Medicine
		Doctor of Medicine Paediatrics
		Doctor of Medicine Respiratory Medicine
		Doctor of Medicine Anesthesiology
	PG(MS)	Master of Surgery Otorhinolaryngology (ENT)
		Master of Surgery General Surgery
		Master of Surgery Ophthalmology
		Master of Surgery Orthopedics
		Master of Surgery Obstetrics & Gynecology
	PG (MDS)	Master of Dental Surgery (Periodontology)
	Super Speciality (M.Ch.)	Master of Chirurgie Neuro-Surgery
	Super Specialty (D.M.)	Doctrate of Medicine

- अवार्ड की जाने वाली डिग्री (उपाधि) में निम्नलिखित फीचर होंगे:—
- **Feature of Degree:-**

ON FRONT SIDE

1. Printing on Non Trivial Paper (NTR)
2. QR Printing with Variable Data (Name of University, Degree Sr. No., Roll No., Enroll No.,
Name of Students & other security features)
3. Water Proof Paper A4 size
4. Printing Logo of University with Water Mark
5. Photograph of Student
6. Serial No. with variable Data.
7. Enrollment number and Roll number
8. Micro Printing with variable Data
09. Correlation mark with Variable Data.
10. Variable Data Security Printing
11. Pattern border

ON BACK SIDE

1. Prepared by
2. Checked by
3. Registrar

- डिग्री (उपाधि) की हेतु निम्नलिखित क्रम संख्या के अनुसार निर्गत किया जायेगा:—

पाठ्यक्रमों का नाम	डिग्री में प्रारम्भ किये जाने वाले क्रमांक संख्या
B.Sc. Nursing	10001
B.Optom	20001
BMLT	30001
Pharmacy	40001
BPT	50001
BRIT	60001
MD/MS/MDS/M Ch./DM	70001
MBBS	80001

उपरोक्त को माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त कार्य

	सम्पन्न किया जा रहा है। • विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को ही डिग्री (उपाधि) में प्रथम श्रेणी अंकित किया जायेगा। **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में डिग्री (उपाधि) अवार्ड की जाने हेतु निर्धारित किये गये प्रारूप पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में डिग्री (उपाधि) अवार्ड की जाने हेतु निर्धारित किये गये प्रारूप पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय – मा0 कार्य परिषद को मा0 कुलपति महोदय द्वारा डिग्री प्रारूप के फीचर्स पढ़कर सुनाये गये, तदोपरान्त विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में डिग्री (उपाधि) अवार्ड की जाने हेतु निर्धारित किये गये प्रारूप पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
अन्य एजेण्डा बिन्दु (मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)	
1. विश्वविद्यालय में 200 एम0बी0बी0एस0 सीटें होने के कारण कतिपय विभागों में एन0एम0सी0 मानकों के अनुसार चिकित्सा शिक्षकों के पद सृजित कराये जाने के संबंध में	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष–2006 में की गई थी, तत्समय एम0बी0बी0एस0 की 100 सीटों के सापेक्ष चिकित्सा शिक्षकों के पद सृजित किए गए थे, तत्पश्चात वर्ष–2013 में एम0बी0बी0एस0 की सीटों में वृद्धि करते हुए 150 सीटें कर दी गई थीं, साथ ही ई0डब्लू0एस0 कोटा लागू होने के पश्चात शासन द्वारा 50 सीटों की वृद्धि करते हुए 200 एम0बी0बी0एस0 सीटें कर दी गई हैं, जिसके सापेक्ष कतिपय विभागों में चिकित्सा शिक्षकों के पद सृजित नहीं हैं, जिससे आगामी एन0एम0सी0 निरीक्षण में चिकित्सा शिक्षकों की कमी होगी। **पृष्ठभूमिः** अवगत कराना है कि एन0एम0सी0 की अधिसूचना दिनांक 28.10.2020 के द्वारा ''प्रतिवर्ष एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली 2020'' जारी की गयी है, जिसके पार्ट–3 सेक्शन–4 के अन्तर्गत 200 एम0बी0बी0एस0 सीट्स दाखिले हेतु आवश्यक शिक्षकों का विवरण दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त विनियमाली में उल्लिखित विभागवार शिक्षकों की आवश्यक संख्या के सापेक्ष विश्वविद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों का विवरण तैयार किया गया है (विवरण संलग्न), जिसके अनुसार विश्वविद्यालय में 200 एम0बी0बी0एस0 सीटें निम्नलिखित विभागों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी हैः– 1. फिजियोलॉजी विभाग में 01 सहायक प्रोफेसर। 2. बॉयोकैमिस्ट्री विभाग में 01 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 01 सहायक प्रोफेसर। 3. फार्माकोलॉजी विभाग में 02 सहायक प्रोफेसर। 4. माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 01 सहायक प्रोफेसर। 5. आपातकालीन मेडिसिन में 01 प्रोफेसर, 01 एसो0 प्रोफेसर, 01 सहायक प्रोफेसर एवं 09 सीनियर रेजीडेण्ट। **प्रस्तावः**– विश्वविद्यालय में एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति हेतु

<table>
<tr><td></td><td>निम्नलिखित विवरणानुसार विभागों में चिकित्सा शिक्षकों के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यपरिषद द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है:–
1. फिजियोलॉजी विभाग में 01 सहायक प्रोफेसर
2. बॉयोकैमिस्ट्री विभाग में 01 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 01 सहायक प्रोफेसर।
3. फार्माकोलॉजी विभाग में 02 सहायक प्रोफेसर।
4. माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 01 सहायक प्रोफेसर।
5. आपातकालीन मेडिसिन में 01 प्रोफेसर, 01 एसो0 प्रोफेसर, 01 सहायक प्रोफेसर एवं 09 सीनियर रेजीडेण्ट।
<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–</u> विश्वविद्यालय में एन0एम0सी0 मानको की पूर्ति हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार विभागों में चिकित्सा शिक्षकों के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यपरिषद द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।
1. फिजियोलॉजी विभाग में 01 सहायक प्रोफेसर
2. बॉयोकैमिस्ट्री विभाग में 01 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 01 सहायक प्रोफेसर।
3. फार्माकोलॉजी विभाग में 02 सहायक प्रोफेसर।
4. माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 01 सहायक प्रोफेसर।
5. आपातकालीन मेडिसिन में 01 प्रोफेसर, 01 एसो0 प्रोफेसर, 01 सहायक प्रोफेसर एवं 09 सीनियर रेजीडेण्ट।
एन0एम0सी0 मानको की पूर्ति हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार विभागों में चिकित्सा शिक्षकों के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु।</td></tr>
<tr><td colspan="2">कार्य परिषद का निर्णय – विश्वविद्यालय में एन0एम0सी0 मानको की पूर्ति हेतु निम्नलिखित विभागों में चिकित्सा शिक्षकों के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया:–
1. फिजियोलॉजी विभाग में 01 सहायक प्रोफेसर
2. बॉयोकैमिस्ट्री विभाग में 01 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 01 सहायक प्रोफेसर।
3. फार्माकोलॉजी विभाग में 02 सहायक प्रोफेसर।
4. माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 01 सहायक प्रोफेसर।
5. आपातकालीन मेडिसिन में 01 प्रोफेसर, 01 एसो0 प्रोफेसर, 01 सहायक प्रोफेसर एवं 09 सीनियर रेजीडेण्ट।
साथ ही मा0 कार्य परिषद द्वारा यह निर्देश दिया गया कि एन0एम0सी0 मानकों के अनुसार गैर–शैक्षणिक कार्मिकों के पदों की आवश्यकता को भी सम्मिलित करते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु (मा0 कार्य परिषद के निर्देशानुसार)</u></td></tr>
<tr><td>1. ओ0पी0डी0 पंजीकरण एवं ओ0पी0डी0 शुल्क के संबंध में</td><td>कार्य परिषद का निर्देश– मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि ओ0पी0डी0 पंजीकरण को और बेहतर बनाने के लिये तथा ओ0पी0डी0 पंजीकरण के शुल्क में वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद में प्रस्तुत किया जाये।</td></tr>
<tr><td>2. सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन के संचालन</td><td>कार्य परिषद का निर्देश– कार्य परिषद द्वारा सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन के संचालन के संबंध में विचार विमर्श किया</td></tr>
</table>

के संबंध में	गया। कार्य परिषद द्वारा नई सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन का प्रबंधन करने हेतु पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित करने की संभावनाओं पर विचार करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। साथ ही वर्तमान में स्थापित सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन को भी पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित करने की संभावनाओं पर विचार करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

बैठक कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष, कार्य परिषद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सम्पन्न हुई।

29/7/22

(सुरेश चन्द्र शर्मा)
कुलसचिव एवं सचिव–कार्य परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

(डा0 एन0सी0 प्रजापति)
प्रधानाचार्य, सम्बद्ध कार्यालय
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं
प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

(डा0 जी0 के0 सिंह)
सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
आर्थोपेडिक्स विभाग,
के0जी0एम0यू0, लखनऊ

(डा0 नित्यानंद श्रीवास्तव)
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
एनाटॉमी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान
विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

29/07/2022.

(डा0 ऊषा शुक्ला)
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
एनेस्थीसिया विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान
विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

29/7/22

(डा0 सूरज कुमार)
संकायाध्यक्ष, पैरामेडिकल विज्ञान
संकाय, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान
विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

29/7/22

(डा0 ज्योति बाला)
संकायाध्यक्ष, नर्सिंग संकाय,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

29/7/22

(डा0 कमला पाठक)
संकायाध्यक्ष, फार्मेसी संकाय,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

29-7-22

(प्रो0 पी0के0 जैन)
संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय)
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

29/07/2022

(विजय कुमार श्रीवास्तव)
वित्त अधिकारी,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

(प्रो0 (डा0) रमाकांत यादव)
प्रति–कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

(डा0 प्रभात कुमार सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।